सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16

500 प्रतियां

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2015 – 16

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	1
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	3
3	**अध्याय : 1** सूचना का अधिकार अधिनियम	**7**
4	**अध्याय : 2** उत्तराखण्ड सूचना आयोग	13
5	**अध्याय : 3** आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	19
6	**अध्याय : 4** सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	33
7	**अध्याय : 5** लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति	47
8	**अध्याय : 6** आयोग की संस्तुतियां	**61**
9	**अध्याय : 7** आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	65
10	**अध्याय : 8** वर्ष 2014 - 15 में आयोग को प्राप्त बजट	101

सूचना का
अधिकार

प्राक्कथन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2015–16) प्रस्तुत किया जा रहा है।

विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को नियमानुसार क्रियान्वित किये जाने के विवरणों पर ही यह वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रित है. इनमें मुख्य रूप से लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें; आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण' तथा आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आयोग को वर्ष 2015–16 में प्राप्त बजट का विवरण भी इस प्रतिवेदन में दिया गया है।

आलोच्य अवधि में कुल 104258 सूचना अनुरोध पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुये, जिसके सापेक्ष कुल 93791 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया गया। इस अवधि में विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कुल 9479 प्रथम अपीलें भी प्राप्त हुयीं, जिसके सापेक्ष कुल 7940 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया।

साथ ही, वर्ष के दौरान आयोग द्वारा कुल 3464 द्वितीय अपीलों तथा 1182 शिकायतों पर सुनवाई की गयी जिसमें से क्रमशः 2303 अपीलों तथा 914 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया.

निःसंदेह, अपने अस्तित्व के 11 वर्ष पूर्ण कर चुके सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। इस अधिकार से ई–गवर्नेंस और सूचना प्रोद्यौगिकी के युग में अपनी परम्परागत समस्याओं में उलझे प्रशासनिक तंत्र को एक नयी प्रशासनिक कार्य संस्कृति स्थापित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन में आयोग द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही हेतु जो संस्तुतियां की गयी हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित स्व–प्रकटन की भावना को पूरी तरह से आत्मसात किये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा और अधिक ठोस कदम उठाये जाने भी अपेक्षित हैं।

भारतीय संसद द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये सूचना का अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करना भी उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, तथा इसके पूर्ण–रूपेण पालन के लिए सूचना आयोग का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना आयोग की इस भूमिका को निभाने के लिए आयोग के सभी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य एवं निरन्तर अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय–समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ।

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार आंकड़ों में
वर्ष 2015 – 16

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	1,04,258
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	93,791
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	9479
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	7940

5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	राजस्व	गृह	वन	विद्यालयी शिक्षा	समाज कल्याण
	15902	14834	8219	6483	6252

6	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील	
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	3464	2303

7	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत	
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण
	1128	914

8	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या	221 शास्ति आरोपित कोई क्षतिपूर्ति नहीं
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)	48,90,250
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)	–
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	कोई नही
12	आयोग के आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद	26

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है. इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है.

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन 55 राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है. ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं. भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है.

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया. महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है.

"लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त–पोषित हैं.

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है. **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है.** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे.

अब तक की अपने 10 वर्षों की इस यात्रा में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अवस्थित अधिकार समीकरण में संतुलन स्थापित करने की एक उत्तम व्यवस्था के रूप में भी देखा जा रहा है.

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

''प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम''.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है. यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है.
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है.
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है.
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रूपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है. गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है.
- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है, इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए

पांच रूपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा.

- अभिलेख की ए–3 या ए–4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रूपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है.
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है.
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है.
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है.
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है.
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग को शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है.

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

(i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,

(ii) शासन के समस्त निदेशालयों,

(iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,

(iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,

(v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,

(vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,

(viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,

(ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,

(x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा

(xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है.

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा. यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग–अलग नामित किये जाने हैं. लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो.

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा.

ऐसी गैर सरकारी संस्थाऐं, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे.

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो.

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा.

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके.

अधिनियम की महत्वपूर्ण धारायें

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके. प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं.

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है.

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है. इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है.

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा.

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस

दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी. जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है.

धारा 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

(i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,

(iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,

(iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,

(v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,

(vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,

(vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पडेगी,

(viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो.

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा.

मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे.

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो.

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं.

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है. प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए.

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है. इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं. द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में जमा कराना होता है.

उत्तराखण्ड
सूचना आयोग

2. उत्तराखण्ड सूचना अयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253 / XXII / 2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 / XXII / 2005–1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी. इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780 / XXX (13)G / 2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नोटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15 / 12 / 2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17 / 10 / 10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19 / 10 / 10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933 / XXX(13)G / 2009 – 52 (5)207). दिनांक 19 / 10 / 10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934 / XXX(13)G / 2009– 52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935 / XXX(13)G / 2009–52(5)207).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 / 05 / 13 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/xxxi(13)G/2013-41 सा. / 2013).

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15 / 01 / 14 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 81/xxxi(13)G/2014-41 सा. / 2013).

श्री एन.एस. नपलच्याल के दिनांक 01 / 04 / 15 को सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 330/xxxi(13)/G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री प्रमात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

दिनांक 18 / 10 / 15 को श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल के सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 2562/xxxi(13)/G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2015–16 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त, श्री अनिल कुमार शर्मा (18.10.2015 तक), श्री प्रभात डबराल (18.10.2015 तक) श्री राजेन्द्र कोटियाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गयी.

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं. इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी. इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो. इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये. उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नही होना चाहिये. इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये.
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी.

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं.
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगें तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगें. इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा. इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा.
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है.

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है. ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये.

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चिय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है. प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी. द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों.
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है.
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना.
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना.
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना.
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना.
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करना

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा.

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है,

तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी. परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा. अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है.

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं. इनमें मुख्यत :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है.
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा.
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट /प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है.

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है.

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

3. आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियां की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है. ऐसी संस्तुतियां सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं.

इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित 5 संस्तुतियां वर्ष 2014–15 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी थीं :

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है. इसी क्रम में आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण के दौरान अनेक वादों में आयोग द्वारा सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तथा ऐसे लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण कर आयोग को भी अवगत करायें.

विगत वर्षों में आयोग स्तर से उक्त धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को प्रेषित निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि अधिकतर प्रकरणों में लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग के निर्देशों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही पूर्ण करते हुये अपनी अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की जा रही है.

धारा 25(5) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रत्येक ऐसे प्रकरण को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एक अनुश्रवण पंजिका में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें नीचे दिये गये 8 स्तम्भ बनाये जाने आवश्यक होंगे

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से सभी लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

क्र.	कार्यालय में प्राप्ति का दिनांक	आयोग की अपील/शिकायत संख्या तथा आयोग के आदेश का दिनांक	अपीलकर्ता/शिकायत कर्ता तथा प्रतिवादियों/प्रतिपक्षियों का विवरण	आयोग द्वारा निर्दिष्ट धारा 25(5) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही. (आयोग के आदेश के सम्बन्धित प्रस्तर को अक्षरशः दिया जाये)	लोक प्राधिकारी के स्तर से की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं दिनांक	आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषण का विवरण (पत्रांक/दिनांक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

संस्तुति : 2

प्रायः प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा या तो प्रथम अपील की प्राप्ति पर आवेदक और लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का नोटिस प्रेषित नहीं किया जाता है अथवा नोटिस समय से प्रेषित नहीं किया जाता है, या नियमानुसार प्रथम अपील की एक तिथि नियत कर दोनों पक्षों को सूचित किए बिना सीधे लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने हेतु आदेशित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सही नहीं है.

प्रथम अपील की प्राप्ति पर समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई हेतु तिथि नियत की जानी चाहिए. इसके उपरान्त निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना डाक/ई–मेल के माध्यम से अपीलकर्ता एवं सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए. समस्त प्रथम अपीलीय

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना दोनों पक्षों को ससमय उपलब्ध करा दी गई है।
अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 3

आयोग द्वारा विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क की मांग आवेदक से किए जाने के उपरान्त भी सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के दौरान अपीलकर्ता को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराए जाने के आदेश निर्गत कर दिए जाते हैं. यह प्रक्रिया सही नहीं है.

सूचना का अधिकार अधिनिमय की धारा–7 की उप धारा–6 के अन्तर्गत यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं तब प्रथम अपील की सुनवायी/निस्तारण के दौरान अनुरोधकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए. परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए आवेदक को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो और आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए.

अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 4

विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के दौरान आयोग के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई का नोटिस निर्गत किए जाने के उपरान्त प्रथम अपील की सुनवायी की नियत तिथि पर अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर दो या दो से अधिक तिथि मात्र इसी कारण से दे दी जाती है कि अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हैं, जोकि उचित नहीं है.

अपीलकर्ता को प्रथम अपील की सुनवाई की तिथि की सूचना दे देने के उपरान्त भी अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़कर, प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील की सुनवाई की जानी चाहिए. सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य/उचित सूचना/अभिलेख सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रदान करते हुए सूचना आवेदन का सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धाराओं के प्राविधानों के अधीन निस्तारण कर दिया गया है. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से इतर अपनी सहमति/असहमति को लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, कारण बताते हुए इंगित किया जाना चाहिए.

अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किये जाने हेतु शासन स्तर से भी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश पारित किये जायें.

संस्तुति : 5

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय / विभाग द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया जाना आवश्यक है. इसी क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्तर पर भी लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है. आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य सामने आया है कि वन विभाग में विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है जबकि अनुरोधकर्ताओं को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को संबंधित वन प्रभाग अथवा कार्यालय के उच्च स्तरों से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा उच्च स्तर से धारित सूचना लेने हेतु अनुमोदन लेना हेाता है. इससे जहां एक ओर इस प्रक्रिया में समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयांतर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है.

अतः आयोग की संस्तुति है कि शासन द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों/विभागों

के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विभाग के द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी ऐसे विभागीय स्तर के अधिकारी हों जिनकी विभागीय अभिलेखों तक सरलता से पहुंच हो तथा जो आवेदनकर्ताओं को न्यूनतम समय के अंतर्गन वांछित सूचना उपलब्ध करा सकें.

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	00

आयोग द्वारा अपने पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015—16 में निर्गत कतिपय शासनादेशों की प्रतियां अग्रेतर पृष्ठों में सग्ंलन है।

संख्या– /xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

एस0राजू,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक /0 मार्च, 2016

विषयः– समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर एकरुपता लाने के लिए जिलाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर अनुभाग अधिकारियों के स्थान पर अनु सचिव व उप सचिव के स्थान पर अपर सचिव को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित कर दिया गया है। यद्यपि पूर्व में अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव/प्रमुख सचिव प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित थे, आयोग की यह संस्तुति है कि जनपद मुख्यालयों में कुछ जनपदों में अपर जिला मजिस्ट्रेट तो कुछ जनपदों में स्वयं जिलाधिकारी अपीलीय अधिकारी हैं, जिस कारण जनसामान्य के स्तर पर असमंजस एवं भ्रांति रहती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में एकरुपता होनी आवश्यक है तथा जिलाधिकारी को ही प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाए ताकि सूचना का अधिकार सम्बन्धी कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित हो सके।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 की संस्तुति के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों के जनपद मुख्यालय स्तर पर एकरुपता लाने के लिए जिलाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने का कष्ट करें,उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0राजू)
मुख्य सचिव।

संख्या– 853 /xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।

2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3–समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव

संख्या– /xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

एस0राजू,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 2016

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत धारा 4(1) (ख) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत मैनुअलों के वार्षिक अध्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोडिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सन्र्दभ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा proactive disclosure तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों का है। आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को वार्षिक रुप से माह अप्रैल से जून के मध्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग की संस्तुति है कि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से भी समस्त लोक प्राधिकारियों को आयोग के निर्देशानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये जिससे लोक प्राधिकारियों के 17 मैनुअल अद्यावधिक हो सकें

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–636/xxxi(13)/G/2011 दिनांक 18 मई, 2011 तथा शासनादेश संख्या–1650/xxxi((13)G/2013–36 (सू0आ0)/2012 दिनांक 15 मई, 2013 पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 की संस्तुति के क्रम में प्रत्येक प्रशासकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जन सामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से उक्त मैनुअलों को प्रतिवर्ष माह अप्रैल से माह जून तक अध्यावधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं

इंटरनेट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे जनसामान्य को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सके।

4. प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने 17 मैनुअल के अद्यावधिकरण, प्रकाशन एवं इंटरनेट पर अपलोड करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष 30 जून तक कार्यवाही की सूचना की 01 प्रति हार्ड एवं साफ्ट कापी में सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0राजू)
मुख्य सचिव।

352

संख्या– / xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0) / 2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3–समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4–समस्त अनुभाग अधिकारी सचिवालय परिसर देहरादून।
5–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव

संख्या– 231 /xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 17 जनवरी, 2016

विषयः– प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकरियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सन्र्दभ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में मात्र लोक सूचना अधिकारी को सूचना 10 दिन या एक सप्ताह आदि अवधि में प्रेषित किए जाने के मात्र निर्देश दे रहे हैं, उनके द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या धारा–8 के विभिन्न प्राविधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिपालन में सम्बन्धित सूचना दी सकती है कि नहीं, जिस कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करनी पड़ रही हैं। आयोग द्वारा संस्तुति की गयी है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये।

2– इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1427/xxxi(15)G-07(रा0सू0आ0)/2015 दिनांक 13 जून,2012 के द्वारा भी प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं ।

3— उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवदेन 2012—2013 की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, प्रथम अपील के निस्तारण में 15—15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिए जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक कि अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

231
संख्या— /xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।
2—मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊॅं मण्डल ।
3—समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5—निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
5—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव

232

संख्या– /xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 17 जनवरी, 2016,

विषयः विभगों में सूचनाओं के स्वः प्रकटन की व्यवस्था किए जाने हेतु विभागीय कार्य कलापों को प्रकट करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 द्वारा संस्तुति की गई है कि कार्मिक, प्रशिक्षण तथा लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा–निर्देशों के अनुरुप शासन के समस्त विभागों में सूचनाओं के स्वःप्रकटन की व्यवस्था किए जाने हेतु उन सब विभागीय कार्य–कलापों को चिन्हित कर उससे सम्बन्धित सूचनायें धारा 4(1)(ब) के अनुसार प्रकट करने की कार्यवाही प्रतिवर्ष एक निर्धारित अवधि यथा 30 जून तक करने के निर्देश जारी किये जाय जिससे सभी विभागों की सूचना पारदर्शिता पूर्वक सार्वजनिक संज्ञान में आ जायेगी तथा नागरिकों को पृथक से सूचना मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

2– अतः इस सम्बध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2012–13 की संस्तुति के क्रम में प्रत्येक प्रशासकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1) (ब) के अनुसार वर्षभर के कियाकलापों को चिन्हित कर प्रतिवर्ष 30 जून तक समस्त सूचनायें स्वः प्रकटन करने का कष्ट करें, ताकि नागरिकों को पृथक से सूचना मांगने की आवश्यकता न पडे।

3– प्रत्येक प्रशासकीय विभाग अपने वार्षिक किया–कलापों के चिन्हीकरण करने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेगे,उक्त निर्देशो का पालन करना सुनिश्चत करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

232
संख्या– /xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3–समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5–गार्ड फाईल।
6–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव

सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण

4. सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

4.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2015–16 में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 104258 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 93791 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष राजस्व विभाग को सबसे अधिक 15902 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये.

4.2 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2015–16 में राजस्व विभाग से सम्बन्धित सबसे अधिक द्वितीय अपील आयोग में प्राप्त हुयीं. इसके उपरान्त गृह विभाग, वन विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग, तथा समाज कल्याण विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी.

4.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आयोग को वर्ष 2015–16 में जनपद देहरादून से 30 प्रतिशत द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं जो आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या का सर्वाधिक था. इसके उपरान्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या रही. बागेश्वर, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत अत्यंत कम रहा.

4.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015–16 में महिला अपीलकर्ताओं की संख्या में अल्प सुधार हुआ (7 प्रतिशत) तथा पुरूष अपीलकर्ताओं द्वारा ही अधिकतम द्वितीय अपीलें आयोग को प्रेषित की गयी.

4.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 31 प्रतिशत तथा शेष द्वितीय अपीलें शहरी क्षेत्र से आयोग को प्राप्त हुयीं.

4.6 आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

इस अवधि में द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर, तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

4.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में कुल प्राप्त शिकायतों में से 10 प्रतिशत ही महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में शिकायतें दर्ज करायीं तथा शेष शिकायतकर्ता पुरूष रहे.

4.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2015–16 में 27 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो कि विगत वर्ष की अपेक्षा कुछ कम है.

4.9 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों को वर्ष 2015–16 में प्राप्त सूचना अनुरोध पत्र, प्रथम अपील तथा उनके सापेक्ष कृत निस्तारण आदि को इस विवरण में दिया गया है.

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2015–16)

श्रेणी – क (ऐसे विभाग जहां अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

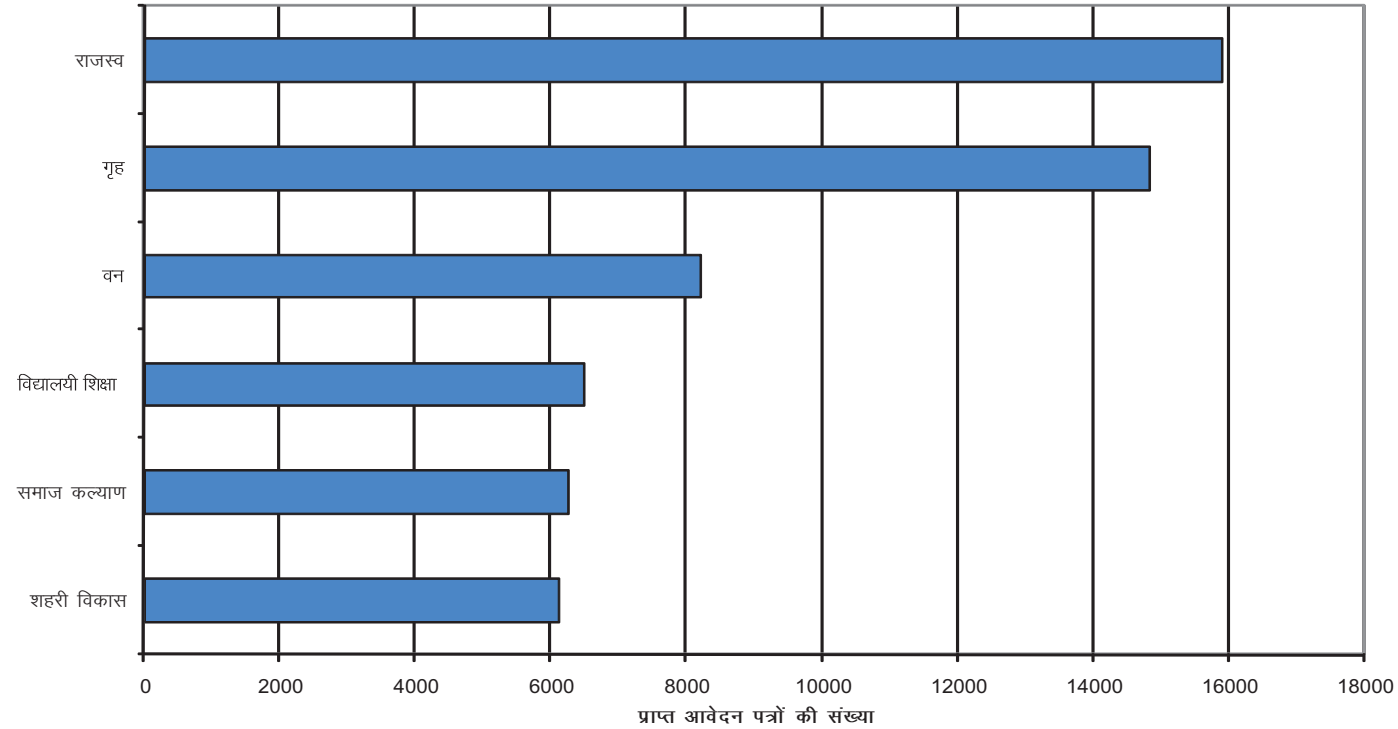

श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जहां सामान्य संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

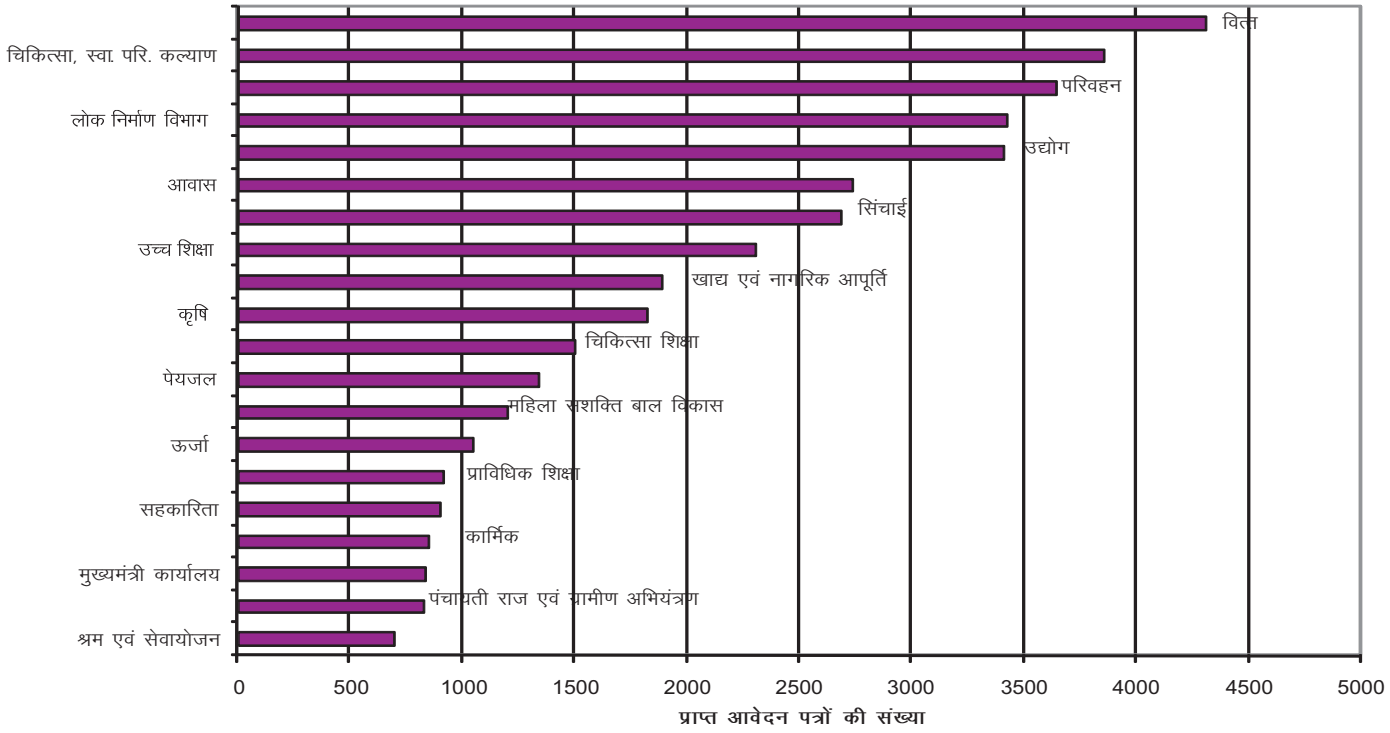

श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जहां कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

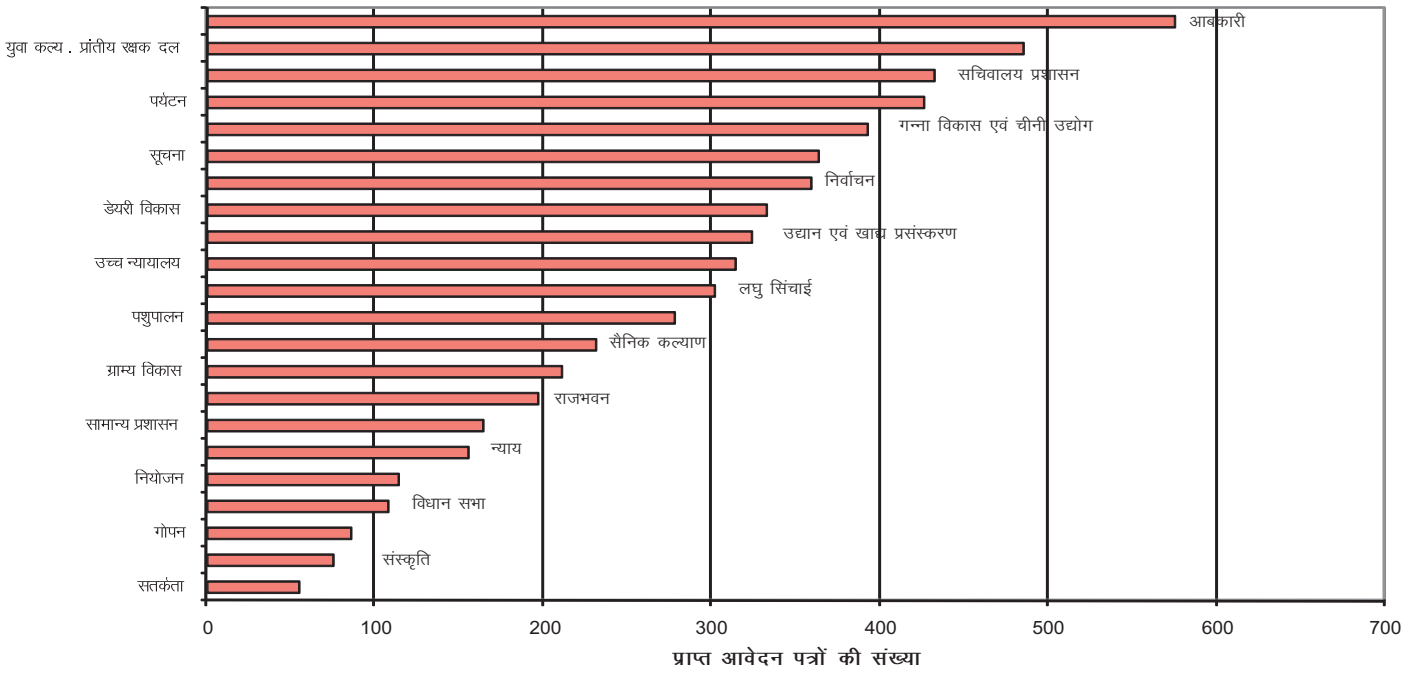

*** उपरोक्त के अतिरिक्त शेष विभागों को निम्नवत् आवेदन पत्र प्राप्त हुऐ** :– सुराज (45), धर्मस्व (45),जलागम (43), विधायी (30), नागरिक उड्डयन (26), खेल (25), सूचना प्रौद्योगिकी (20), राज्य पुनर्गठन (20), अन्य (6), प्रोटोकॉल (3), राज्य सम्पत्ति (0), आपदा प्रबधंन (0)

लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2015–16)

श्रेणी – क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में अधिक संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयी)

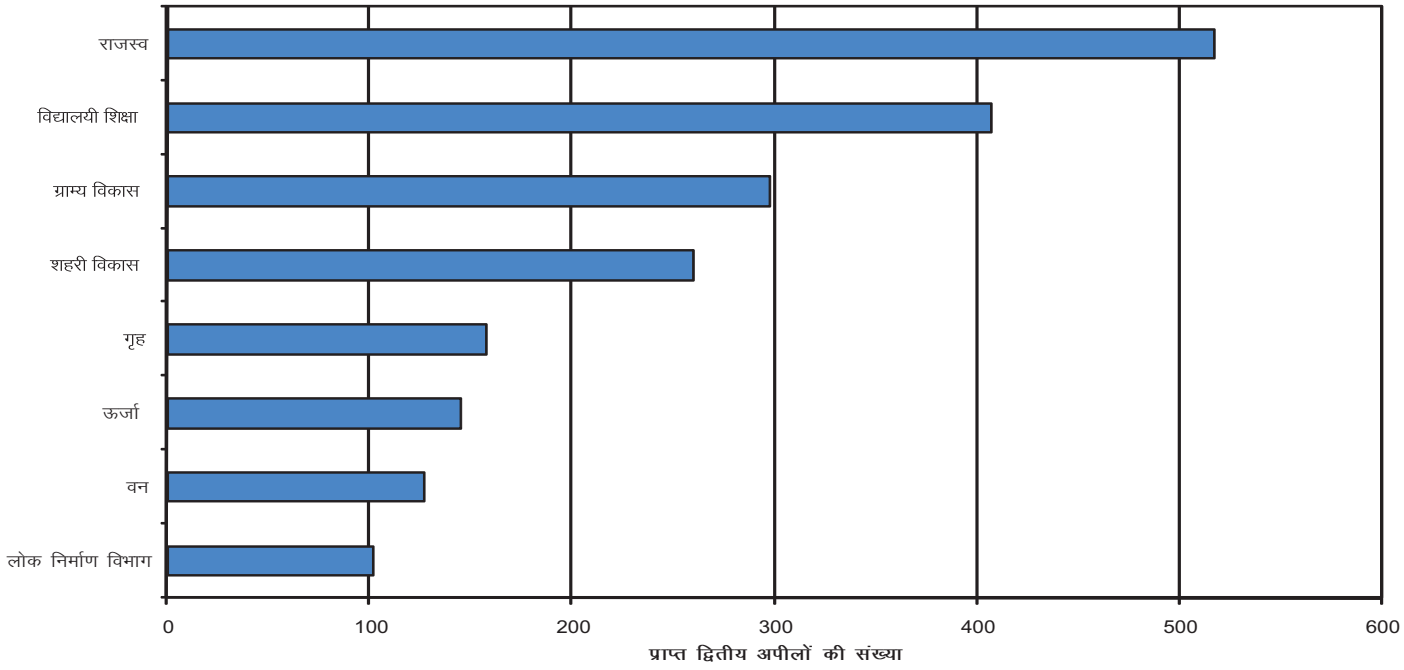

लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या (2015–16)

श्रेणी – ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में सामान्य संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयी)

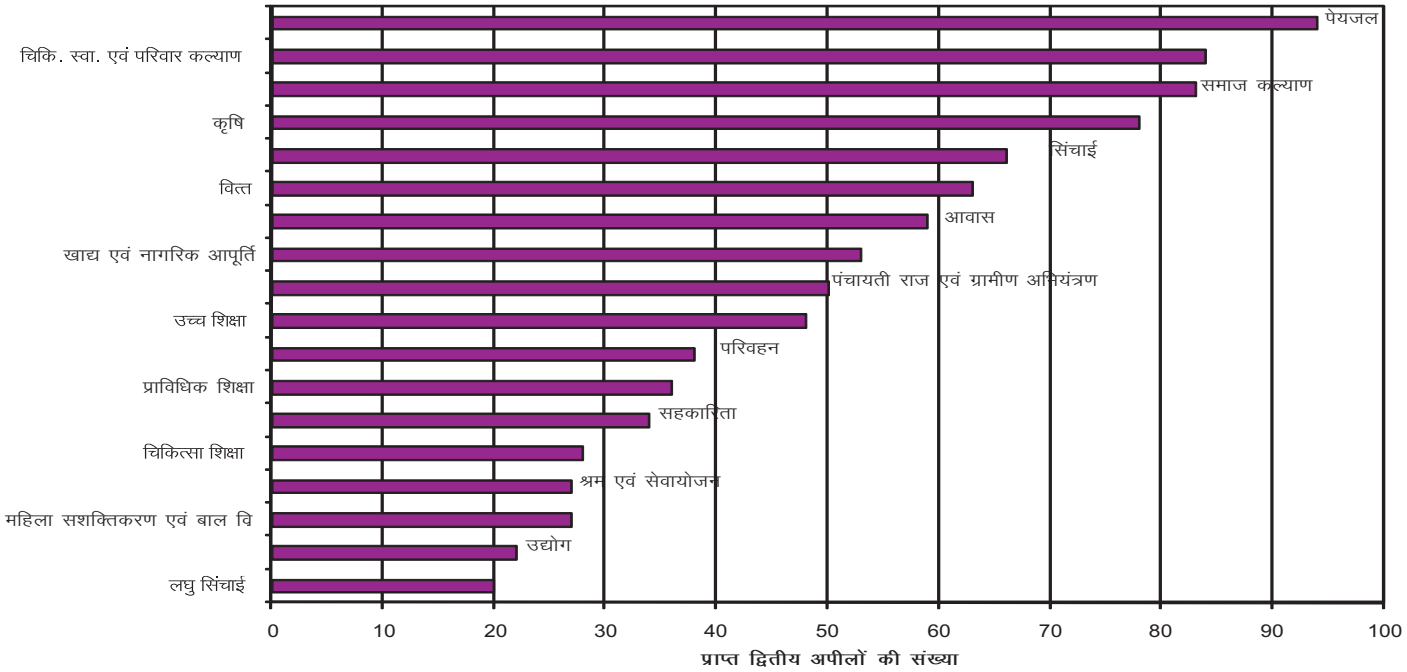

श्रेणी – ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में कम संख्या में द्वितीय अपील प्राप्त हुयी)

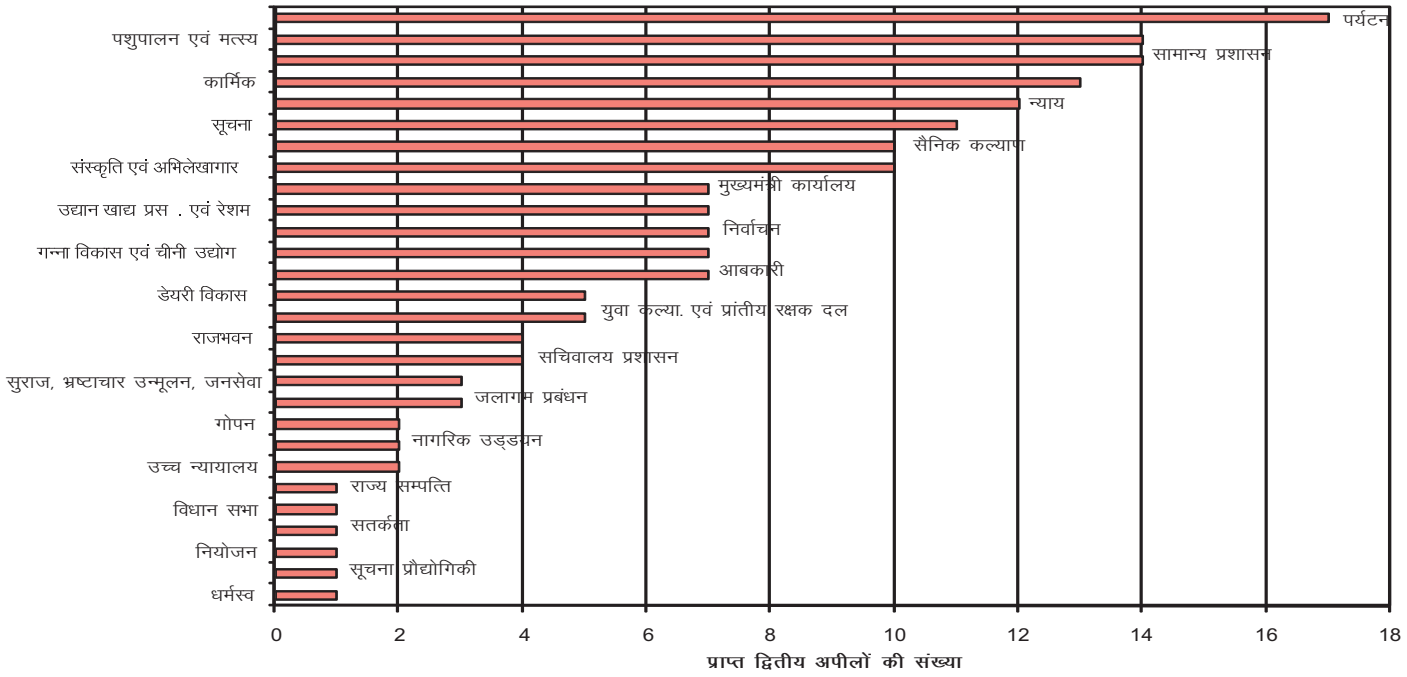

*खेल, विधायी, प्रोटोकॉल, राज्य पुनर्गठन एवं आपदा प्रबधंन विभाग से सम्बन्धित कोई द्वितीय अपील प्राप्त नहीं हुई

जनपदवार प्राप्त द्वितीय अपीलें, (प्रतिशत में) 2015 – 16

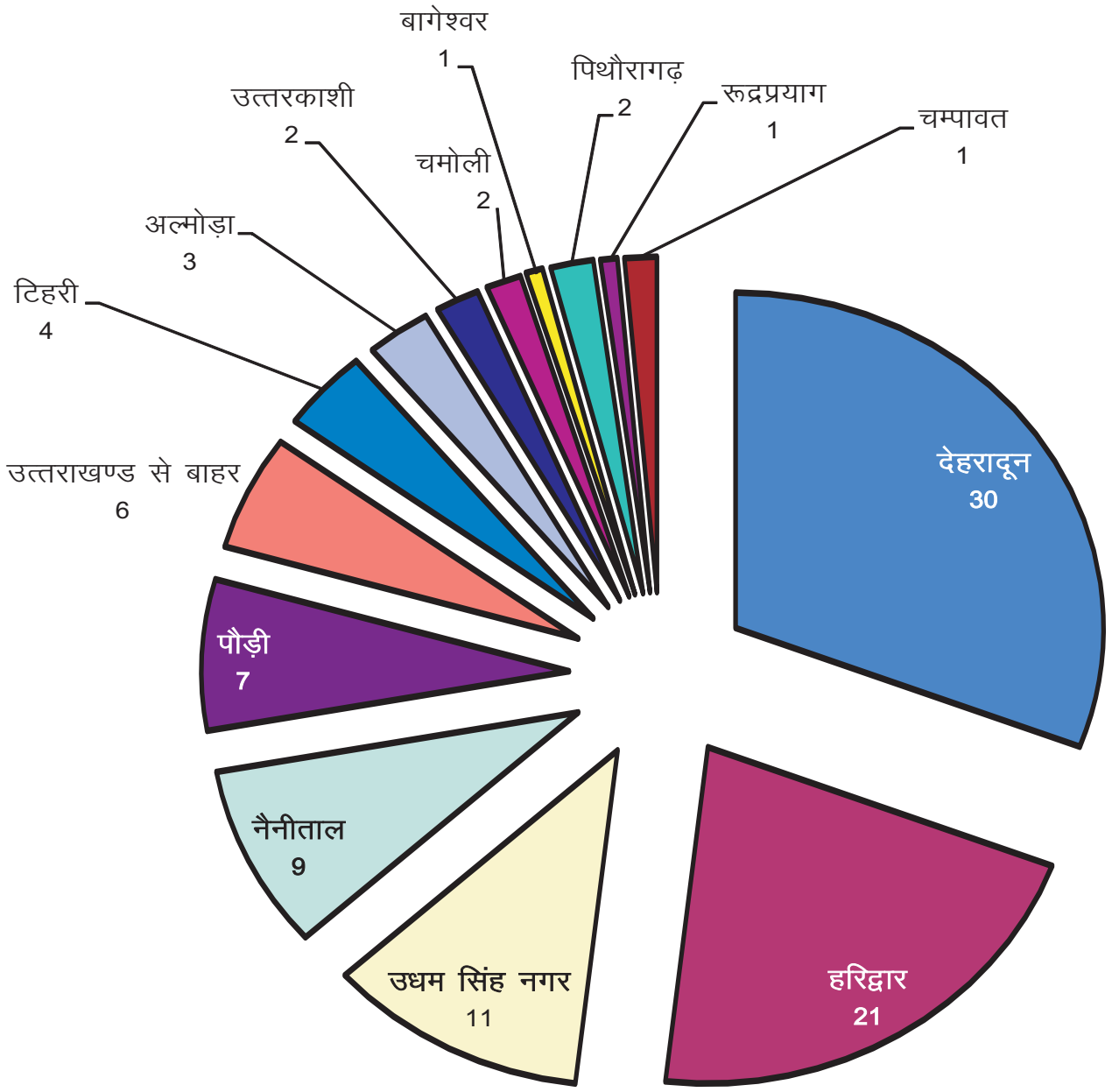

द्वितीय अपीलों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (2015 – 16)

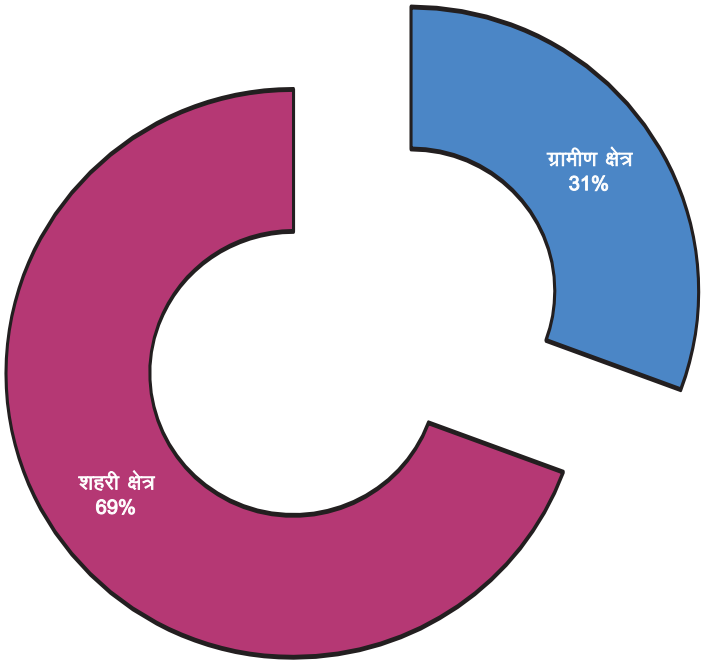

द्वितीय अपीलों में महिला – पुरूष अनुपात

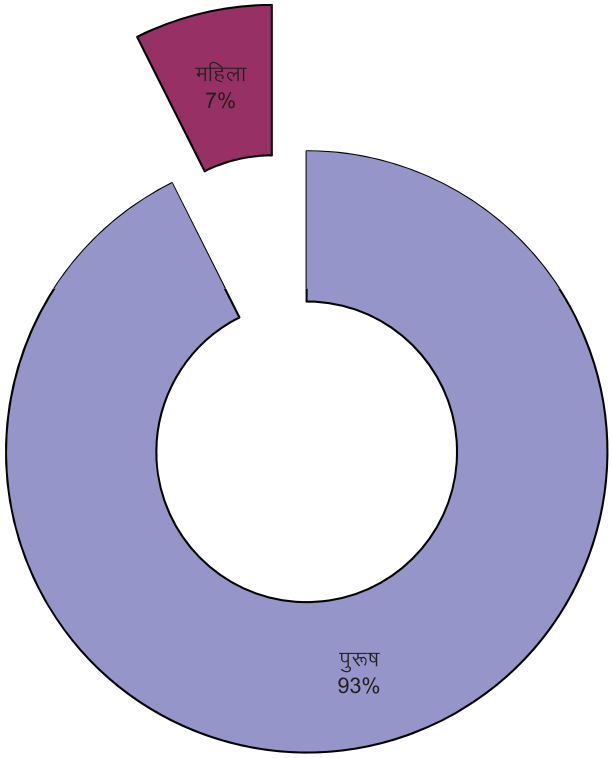

जनपदवार प्राप्त शिकायतें, प्रतिशत में (2015–16)

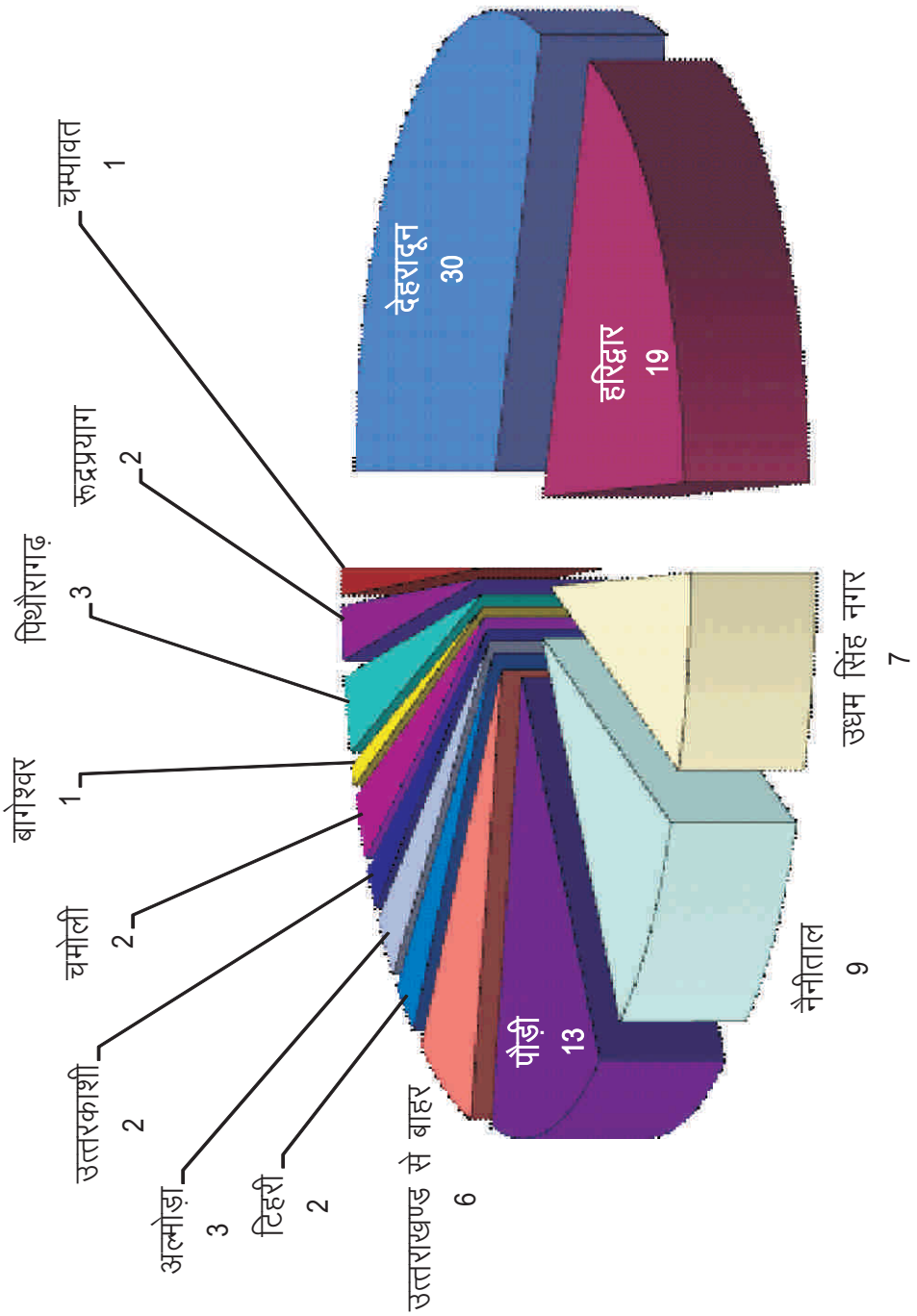

शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात (2015 – 16)

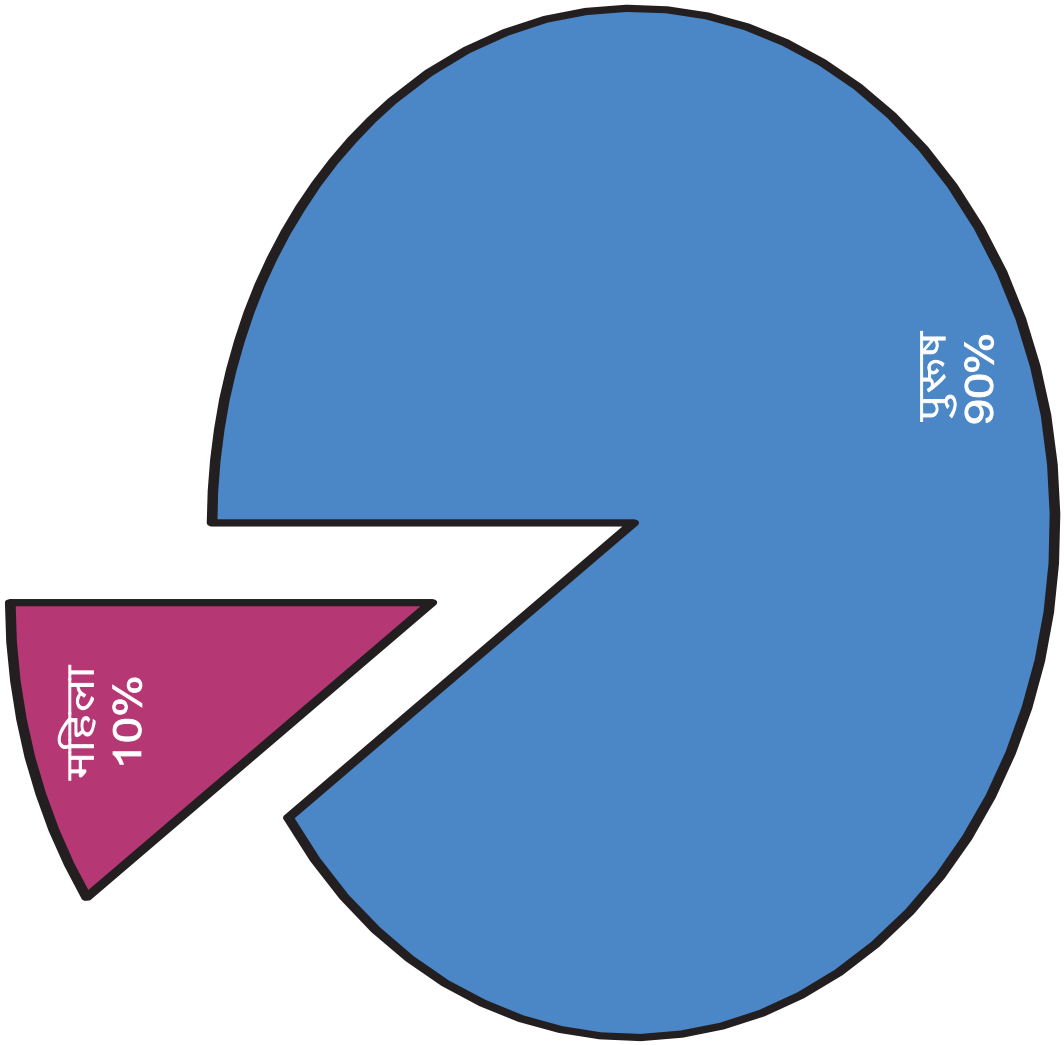

शिकायतों में ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (2015 – 16)

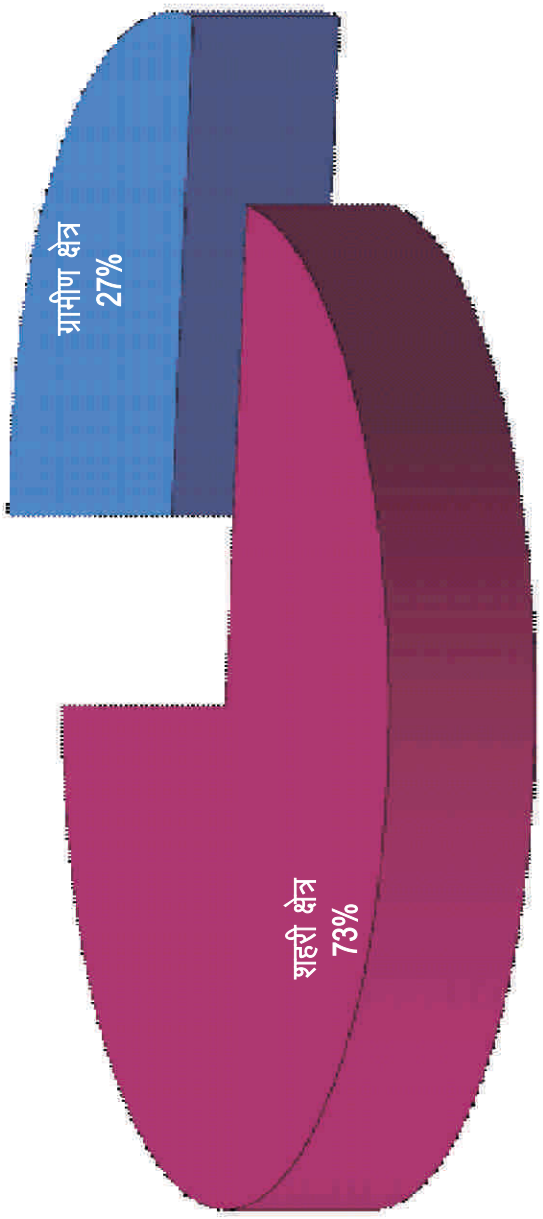

लोक प्राधिकारी / विभागवार वार्षिक प्रगति विवरण

वर्ष : 2015 – 16

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया													
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
												धारा 8 (1)									धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	1825	1569	7	196	156	4	49245													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	278	239	1	62	60	0	7326													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	835	801	21	61	44	3	10285													
4	नागरिक उड्डयन	26	26	0	6	5	0	90													
5	गोपन	86	80	0	2	2	0	1450													
6	सहकारिता	900	900	3	77	75	0	5187													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	75	75	0	29	29	0	480													
8	डेयरी विकास	333	308	0	34	31	0	13192													
9	आपदा प्रबंधन																				
10	पेयजल	1341	1004	0	267	232	0	12280													
11	उच्च शिक्षा	2307	2267	0	147	138	0	21893													4
12	विद्यालयी शिक्षा	6483	6229	55	619	583	0	105135													
13	प्राविधिक शिक्षा	919	919	2	76	74	3	12887													
14	निर्वाचन	359	356	0	9	9	0	5286													
15	ऊर्जा	1046	824	0	111	99	0	12880													
16	राज्य सम्पत्ति																				
17	सैनिक कल्याण	231	231	0	22	22	0	1254													
18	आबकारी	575	567	2	27	26	1	7961													
19	वित्त	4308	4114	3	239	42	0	73142													
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1888	1788	5	231	200	0	27344													
21	वन	8219	6783	24	1356	1045	7	41852													
22	सामान्य प्रशासन	164	162	0	16	15	0	4113													
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	3856	3816	40	211	189	22	38041													
24	गृह	14834	14789	50	1045	1042	115	116284	1												38

25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	324	304	2	27	32	0	9468																
26	आवास	2741	2741	0	155	155	36	56014																
27	उद्योग	3408	2919	2	470	436	8	87746																
28	सूचना प्रौद्योगिकी	20	20	6	3	3	0	200																
29	सूचना	364	364	0	18	18	0	9501																
30	सिंचाई	2689	1848	18	232	220	1	61589																
31	न्याय	156	155	0	12	11	0	3189																
32	श्रम एवं सेवायोजन	698	646	0	69	50	2	17522																
33	चिकित्सा शिक्षा	1501	1475	27	123	121	0	11824					26								1			
34	लघु सिंचाई	302	249	1	65	61	2	2785																
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	827	764	0	53	53	0	11632																
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	30	28	0	0	0	0	1010																
37	कार्मिक	854	837	12	40	39	2	18081																
38	नियोजन	114	113	0	14	14	0	7264																
39	प्रोटोकाल	3	3	0	0	0	0	0																
40	लोक निर्माण विभाग	3423	2145	30	340	227	1	84381																
41	धर्मस्व	45	45	0	1	1	0	1620																
42	राजस्व	15902	12741	291	1739	1313	160	126933																
43	ग्राम्य विकास	211	209	0	78	78	0	4830																
44	सचिवालय प्रशासन	432	432	0	23	23	0	10407																
45	समाज कल्याण	6252	5908	453	255	113	2	22710																
46	खेल	25	25	0	5	1	0	254																
47	राज्य पुनर्गठन	20	20	0	3	3	0	144																
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	393	333	13	27	24	1	3460																
49	पर्यटन	426	413	13	38	38	0	2579																
50	परिवहन	3641	3475	0	171	163	0	44546																
51	शहरी विकास	6111	5514	8	447	399	4	63534																
52	सतर्कता	55	55	0	19	21	0	330																
53	जलागम प्रबंधन	43	43	0	4	4	0	1430																
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	1205	1022	0	105	102	0	11294																
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	485	429	1	9	8	0	2002																
56	राजभवन	197	197	0	18	18	0	3011																
57	विधान सभा	108	108	0	13	13	0	9587																
58	उच्च न्यायालय	314	314	0	55	55	52	6655										1	1					
59	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन, जन सेवा	45	45	0	4	4	0	440																
60	अन्य	6	5	0	1	1	0	197																
	कुल योग	**104258**	**93791**	**1090**	**9479**	**7940**	**426**	**1265776**	**1**	**0**	**0**	**0**	**26**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**42**

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

5. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथ प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इन समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश

जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वैबसाईट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/ विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिज़िटाईज़ कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2015–16)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअलों को डिजिटाईज़ कर लिया गया है

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग		
1	**कृषि विभाग**		
	1.1	कृषि निदेशालय	
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	
		1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
		1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
		1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
		1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
		1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
		1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	**पशुपालन विभाग**		
	2.1	पशुपालन निदेशालय	
		2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
		2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
		2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
		2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
		2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
		2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
		2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
		2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
		2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
		2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार
		2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
		2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय	
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	

3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**		
4	**नागरिक उड्डयन**		
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	**गोपन**		
6	**सहकारिता**		
	6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	**संस्कृति**		
	7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	**डेयरी विकास**		
	8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	**आपदा प्रबंधन**		
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	**पेयजल**		
	10.1	स्वजल परियोजना	
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
		10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	**उच्च शिक्षा**		
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
	11.2	दून विश्वविद्यालय	
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
		11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
		11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
		11.3.3	डिग्री कालेज, गरूड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	**विद्यालयी शिक्षा**		
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	
		12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
		12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
		12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
		12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
		12.1.7	डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार
		12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान	

13	**प्राविधिक शिक्षा**		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	**निर्वाचन**		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	**ऊर्जा**		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
	15.5	मुख्यालय, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि.	
16	**राज्य सम्पत्ति**		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	**सैनिक कल्याण**		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	**आबकारी विभाग**		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18.1.1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी
19	**वित्त विभाग**		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	

		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी	
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**			
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग		
21	**वन**			
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड		
		21.1.1	प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें	
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म	
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट	
		21.1.4	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ	
		21.1.5	मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, हल्द्वानी	
		21.1.6	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा	
		21.1.7	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा	
		21.1.8	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून	
		21.1.9	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती	
		21.1.10	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व, गोपेश्वर	
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी	
		21.1.12	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर	
		21.1.14	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत	
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा	
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, टौंस	
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी	
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल	
		21.1.19	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी	
		21.1.20	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी	
		21.1.21	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ	
	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क		
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व		
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**			
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**			
	23.1			
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर	
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	
			23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23 1 3 2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल

. . .

			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	**गृह**			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		
	24.3	होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय		
	24.4	अभियोजन निदेशालय		
25	**उद्यान एवं रेशम**			
	25.1	उद्यान निदेशालय		
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी	
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी	
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार	
	25.2	रेशम निदेशालय		
	25.3	भेषज विकास इकाई		
	25.4			

26	**आवास**		
	26.1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	
	26.2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	
	26.3	वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास	
	26.4	दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	
27	**उद्योग**		
	27.1	उद्योग निदेशालय	
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**		
	28.1	आई.टी.डी.ए.	
	28.1	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**		
	29.1	सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय	
30	**सिंचाई**		
	30.1	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		30.1.1	अधिशासी अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2	पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना	
31	**न्याय**		
	31.1	न्याय विभाग	
	31.2	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	
	31.3	महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड	
32	**श्रम एवं सेवायोजन**		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	**चिकित्सा शिक्षा**		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयापैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयापैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार

34	**लघु सिंचाई**		
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय	
		34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	**पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण**		
	35.1	पंचायती राज निदेशालय	
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	**विधायी**		
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग	
37	**कार्मिक**		
	37.1	कार्मिक विभाग	
	37.2	लोक सेवा अधिकरण	
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	
38	**नियोजन**		
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय	
39	**प्रोटोकॉल**		
	39.1	प्रोटोकॉल	
40	**लोक निर्माण विभाग**		
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर	
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)	
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर
		40.2.3	अस्थाई खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी
		40.2.5	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून
41	**धर्मस्व**		
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति	
42	**राजस्व**		
	42.1	राजस्व पुलिस	
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **	
		42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल
		42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
		42 2 3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग

		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी	
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी	
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून	
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली	
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार	
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर	
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत	
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर	
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	
43	**ग्राम्य विकास**			
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **		
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	
			43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट
			43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	
			43.1.3.1	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	
			43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5	खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण	
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान		
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी		
44	**सचिवालय प्रशासन**			
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग		
45	**समाज कल्याण**			
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय		
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर		
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग		
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग		
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड		
46	**खेल**			
	46.1	खेल निदेशालय		
		46.1.1	जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर	

47	**पुनर्गठन**		
48	**गन्ना एवं चीनी**		
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी	
49	**पर्यटन**		
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम	
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान	
50	**परिवहन**		
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	
51	**शहरी विकास**		
	51.1	शहरी विकास निदेशालय	
		50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
		50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
		50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
		50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
		50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
		50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
		50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
		50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
		50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
		50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
		50.1.11	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग
52	**सतर्कता**		
	52.1	सतर्कता ब्यूरो	
53	**जलागम**		
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय	
54	**महिला एवं बाल विकास**		
	54.1	राज्य महिला आयोग	
55	**युवा कल्यण**		
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय	
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी	
56	**राजभवन**		
	56.1	राजभवन	
57	**विधान सभा**		
	57.1	विधान सभा	

58	**उच्च न्यायालय**	
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय
59	**सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा**	
	59.1	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.

आयोग की संस्तुतियां

6. आयोग की संस्तुतियां

संस्तुति : 1

आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के वार्षिक प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करने के सम्बन्ध में शासन स्तर से प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु जनसामान्य द्वारा आयेाग को प्रेषित विभिन्न शिकायतों से यह परिलक्षित हुआ है कि अनेक विभागों/लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग एवं शासन के उक्त निर्देशों का पूर्ण–रूपेण अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिससे नागरिकों को सहजता से जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

अतः आयोग की संस्तुति है कि इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन स्तर से एक व्यापक अनुश्रवण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित वांछित सूचनायें अपनी–अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी हैं तथा उनका नियत समयावधि के अन्तर्गत अद्यावधिकरण भी किया जा रहा है।

संस्तुति : 2

अधिनियम के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों/लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा आयोग को प्रेषित आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य निरन्तर प्रकाश में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता का स्तर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को अधिनियम के सम्बन्ध में समुचित जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उन्हें सम्यान्तर्गत वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है. अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है.

अतः आयोग की संस्तुति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर एक व्यापक एवं प्रभावी कार्य योजना बनायी जायें तथा अधिनियम के उपयोग के सम्बन्ध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायें।

संस्तुति : 3

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियावली, 2013' के नियम 2(ग) में आयोग को परिभाषित किया गया है जिसमें लिखा है कि **आयोग से उत्तराखण्ड सूचना आयोग अभिप्रेत है।**

आयोग की संस्तुति है कि उपरोक्त नियमावली में यह परिभाषा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की तरह निम्नानुसार होना चाहिए – *''आयोग का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड सूचना आयोग से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किसी शिकायत या अपील की सुनवाई का संचालन करने वाला मुख्य सूचना आयुक्त या कोई अन्य सूचना आयुक्त भी है।''*

संस्तुति : 4

आयोग की संस्तुति है कि 'उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार अधिनियम नियावली, 2013' के नियम 5 (क) के अन्त में यह जोड़ा जाना चाहिए कि **सूचना प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत अनुरोध पत्र में पॉच सौ से अधिक शब्द नहीं होने चाहिये।**

संस्तुति : 5

ग्राम प्रधान निर्वाचित पदाधिकारी हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी प्रधान नामित हैं। उनके अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी नामित हैं। धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा। निर्वाचित प्रधान को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना और खण्ड विकास अधिकारी को उसका अपीलीय अधिकारी बनाना विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित करने की अपेक्षा अधिनियम में नहीं है। **आयोग की संस्तुति है कि** ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये तथा खण्ड विकास अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाये।

संस्तुति : 6

राज्य सरकार के सचिवालय में एक ही विभाग के अनुभागों के लिए अलग–अलग लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। यह विधि के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है। **आयोग की संस्तुति है कि** पूरे विभाग के लिए लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही राज्य सरकार के सचिवालय में की जानी चाहिए।

संस्तुति : 7

धारा 4(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में लोक प्राधिकारी की अधिक से अधिक सूचना वैबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। दिनांक 08/12/2011 को सुराज भ्रष्टाचार निवारण एवं जनसेवा विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत कर निर्माण के ठेकों, सामग्री की आपूर्ति के ठेकों, विभागीय पदोन्नति समिति के बैठक की कार्यवाहियों, भूमि के पट्टों आदि दस प्रकृति की सूचनाओं को वैबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया था। इसका क्रियान्वयन अभी तक सरकार द्वारा नहीं कराया गया है। **आयोग की संस्तुति है कि** इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कराया जाना चाहिए।

संस्तुति : 8

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में अभिलेखों के कैटलॉग तथा इन्डेक्स बनाये जाने का प्रावधान है जिसका पालन लोक प्राधिकारी के कार्यालयों में नहीं हो रहा है। इसके लिए **आयोग की संस्तुति है कि** सरकार की ओर से सम्यक कड़े निर्देश सभी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों को दिये जाने चाहिए और उसका अनुश्रवण करके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

संस्तुति : 9

सूचना आयोग का स्तर राज्य सरकार के सचिवालय, लोक सेवा आयोग एवं मा0 उच्च न्यायालय के कार्यालयों समकक्ष है परन्तु आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमान कम रखे गये हैं। **आयोग की संस्तुति है कि** आयोग में समकक्ष पदों के वेतनमानों को सचिवालय के समकक्ष पदों के वेतनमान के समान करने की कार्यवाही होनी चाहिए।

संस्तुति : 10

आयोग के गठन पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से पांच व्यक्ति आयोग में कार्य संचालन हेतु बुलाये गये थे जो अभी कार्यरत हैं। उनके संविलियन की कार्यवाही लम्बे समय से विचाराधीन है। **आयोग की संस्तुति है कि** सरकार को इसको शीघ्र पूरा करना चाहिए।

संस्तुति : 11

आयोग के सेवा निवृत्त राज्य सूचना आयुक्तों को पेंशन व अन्य सेवा निवृत्तक लाभ निर्गत करने की कार्यवाही सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गयी है। एक सूचना आयुक्त को सेवा निवृत्त हुए ढाई वर्ष से अधिक का समय हो रहा है। **आयोग की संस्तुति है कि** आयोग की गरिमा बनाये रखने के लिए सरकार को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

संस्तुति : 12

सरकार के पेयजल विभाग के अंतर्गत एकल ग्राम योजना के लिए पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता समिति द्वारा योजनाओं की स्थापना एवं संचालन किया जाता है। उनको लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया गया है जिससे सूचना के अनुरोध पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। **आयोग की संस्तुति है कि** पेयजल विभाग में लोक सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए।

संस्तुति : 13

सरकार में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करने की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर कर ली गयी है। लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय अधिकारी राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यालयों प्रशासनिक इकाईयों के लिए नामित करने की कार्यवाही करनी चाहिए। **आयोग की संस्तुति है कि** शासन स्तर पर इसकी समीक्षा करके आवश्यक व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है।

आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों में
आरोपित शास्तियां

शिकायत / अपील संख्या	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	विभाग का नाम	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या तथा दिनांक	शास्ति/वसूली/ कटौती सम्बन्धी
A-16840	15-04-2015	श्री विक्रम सिंह ,ग्राम बाजबगड़ पोस्ट मैठाणा, जिला चमोली उत्तराखण्ड/उप शिक्षा अधिकारी, जोशीमठ घाट जिला चमोली/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला चमोली	उप शिक्षा अधिकारी, जोशीमठ घाट जिला चमोली पर 6750 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	6750.00	0			चालान संख्या 03 दिनांक 13/07 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-16838	13-04-2015	श्री सहीद पुत्र श्री गुलाम रसूद, निवासी ग्राम नगला खुर्द ब्लाक बहादराबाद जिला हरिद्वार /खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति ओरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0		WP no. 1373/2015	
A-17354	15-04-2015	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल,चुपडाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ/भूमि संरक्षण अधिकारी, नियर खडायत भवन डीडीहाट जिला पिथौरागढ/मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी, नियर खडायत भवन डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	कृषि	10000.00	0			चालान संख्या 05 दिनांक 26/06 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17387	16-04-2015	मु0 आसिफ पुत्र श्री रसूल बख्स, निवासी ग्राम लहबोली ब्लाक नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड– 247656/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लहबोली, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार/ खण्ड विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लहबोली, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00	0			

A-16814/2015	27-03-2015	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी,गांधी चौक रानीखेत जिला अल्मोड़ा,/राजस्व उप निरीक्षक, तिमला, रानीखेत जिला अल्मोड़ा /राजस्व निरीक्षक, तिमिला रानीखेत जिला अल्मोड़ा	राजस्व उप निरीक्षक, तिमला, रानीखेत जिला अल्मोड़ा पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	10000.00	0	0		अप्रैल 2015 के वेतन से प्रथम किस्त की वसूली कर ली गयी है।
A-16957	09-04-2015	श्री दलीप सिंह पुत्र श्री देवी राम,ग्राम कोटी पोस्ट कोटी कालोनी, तहसील कालसी जिला देहरादून/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोटी, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोटी, विकास खण्ड कालसी जिला देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	10000.00	0			चालान संख्या 43 दिनांक 29.09. 2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-16424	09-04-2015	श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री विज्ञान प्रकाश, जी–37 रेसकोर्स जिला देहरादून/लेखपाल क्षेत्र आमबाग तरला द्वारा तहसीलदार सदर जिला देहरादून	लेखपाल क्षेत्र आमबाग तरला द्वारा तहसीलदार सदर जिला देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	25000.00	0			
A-17232	08-04-2015	श्री हरिओम अरोड़ा पुत्र स्व0 श्री लोक नाथ अरोड़ा,मकान नम्बर–466, आवास विकास रूड़की, थाना कोतवाली गंगनहर रूड़की, जिला हरिद्वार/ जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड/अपर जिला अधिकारी प्रशासन जिला हरिद्वार	जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	10000.00	0		WP No.1246/2015CLMA No 6152/2015	
A-17234	08-04-2015	श्री हरदेवा पुत्र श्री मंगत, निवासी ग्राम गोविन्दपुर वाजिदपुर परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार /जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5000.00	0		WP No. 1419 /2015CLMA No 6762/2015	

A-17277	08-04-2015	श्री बिरेन्द्र सिंह ,ग्राम पसौली, पोस्ट लांघा वाया डाकपत्थर जिला देहरादून उत्तराखण्ड– 248125 / प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा विकास खण्ड विकासनगर जिला देहरादून / खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर, जिला देहरादून	प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लांघा विकास खण्ड विकासनगर जिला देहरादून पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00	0			
A-17421	21-04-2015	श्री मुबारीक पुत्र मुस्तकीम, ग्राम धीर मजरा, पोस्ट हल्लूमजरा, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / जिला पंचायत राज अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	पंचायती राज	5000.00	0		WP No. 1272 /2015	
A-17417	20-04-2015	श्री रफीक अहमद पुत्र श्री सूबेदार ग्राम राजपुर, पोस्ट नादेही तहसील जसपुर जिला उधम सिहनगर उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत राजपुर, विकास खण्ड जसपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00	0			
A-17467	23-04-2015	श्री आसिम अजहर, सम्पादक क्राइम का शिकंजा ग्राम मिस्सरवाला, पोस्ट कुण्डा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड / जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			चालान संख्या ए25150001 दिनांक 02.06 2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है

A-17042	23-04-2015	श्री सुबोध सिंह बिष्ट,पुत्र श्री मदन सिंह बिष्ट टकाना लाईन पिथौरागढ उत्तराखण्ड/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ /उप जिला अधिकारी, पिथौरागढ	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर पंचायत	5000.00	0			चालान संख्या 54 दिनांक 29.05. 2015 के द्वारा 5000 हजार रूपये की धनराशि जमा कर दी गयी है।
A-17422	21-04-2015	श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जमन राम,ग्राम चूलाकोट पोस्ट गुरना तहसील एवं जिला पिथौरागढ/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पिथौरागढ उत्तराखण्ड/जिला विकास अधिकारी जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड पिथौरागढ उत्तराखण्ड पर 2000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	2000.00	0			चालान नम्बर–118 दिनांक 21 मई 20015 के द्वारा 2000 रूपये वसूल कर लिये गये है।
A-17464	22-04-2015	श्री भुवन चन्द्र पाठक,ग्राम व पोस्ट संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बेरीनाग जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संगौड़ विकास खण्ड बेरीनाग पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			पत्र संख्या –158 दिनांक 30.05. 2015 के द्वारा जमा कर लिये गये है।
A-17085	16-04-2015	श्री ऋषिपाल पुत्र स्व0 श्री बृजलाल अग्रवाल,निवासी कस्बा झबरेड़ा, पोस्ट खास जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड/थानाध्यक्ष, थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार /पुलिस उपाधीक्षक, मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	थानाध्यक्ष, थाना झबरेड़ा जनपद हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	गृह	25000.00	0			चालान संख्या 53 दिनांक 15.06. 2015 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में जमा कर दिया गया है।
A-15776	10-04-2015	श्री गंगा सिंह ल्वाल, महासचिव, जौहार सांस्कृतिक संस्था 18 ई0सी0 रोड देहरादून , मानव संसाधन उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विक्टोरिया क्रास बिजेता गबर सिह भवन देहरादून/मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, वाणिज्य उपाकालि गबर सिंह भवन देहरादून	मानव संसाधन उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन विक्टोरिया क्रास बिजेता गबर सिह भवन देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00	0	श्री के0बी0 चौबे, उप महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंधी, एवं कार्मिक उपाकालि के विरूद्व लगातार सूचना न दिये जाने पर उनके विरूद्ध सम्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।	Stayed	

C-10045	22-04-2015	श्री कड्डाल सिंह पूर्व प्रधान, ग्राम कुर्माथा, पोस्ट मोहन चट्टी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/ तहसीलदार तहसील यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल / तत्काली तहसीलदार तहसील यमकेश्वर द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल	तत्काली तहसीलदार तहसील यमकेश्वर श्री सुभाष चन्द्र ध्यानी पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	10000.00	0		WP No. 1422/2015 CLMA No. 6773 of 2015	
A-17632	13-05-2015	श्री मुरारी लाल जोशी, ग्राम व पोस्ट डुण्डा जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा जिला उत्तरकाशी/जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी	खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा जिला उत्तरकाशी पर 822 रूपये की धनराशि राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिये गये है	ग्राम्य विकास	822.00	0			
A-17636	13-05-2015	श्री अवतार सिंह चौहान, पुत्र श्री चन्द्र सिंह ग्राम नैथाणा, पट्टी चौरास, विकास खण्ड कीर्तिनगर पोस्ट–किलकिलेश्वर जिला टिहरी गढ़वाल/ प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैथणा, विकास खण्ड कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल /खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नैथाणा, विकास खण्ड कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			चालान संख्या–15 दिनांक 13.08. 2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
C-9807	29-04-2015	श्री नरेन्द्र पाल सिंह 110/1–ए, संजय गांधी कालोनी, रूड़की जिला हरिद्वार /प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार	प्रधानाचार्य, राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार पर 11750 की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	11750.00	0			चालान संख्या 49 दिनांक 25.06. 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17519	28-04-2015	श्री जगदम्बा प्रसाद ममगाई, ग्राम पाली, पोस्ट अंजनी सैण जिला टिहरी गढ़वाल–249121/खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल/जिला विकास अधिकारी विकास भवन, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल	खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल पर 7500 की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	7500.00	0			माह मई 2015 एवं जून 2015 के लेखाशीर्षक, 0070 में जमा कर दी गयी है।

A-14968	27-03-2015	श्री कमल सिंह निवासी एस0एल0 168 भभूतवाला बाग शिवलोक कालोनी भगत सिंह चौक हरिद्वार /जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार/अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जिला हरिद्वार	जिला पूर्ति अधिकारी जिला हरिद्वार पर 6000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	6000.00	0			
A-17610	05-05-2015	श्री पीताम्बर तिवारी,पुत्र श्री कृष्णानन्द तिवारी, ग्राम व पोस्ट श्यामलाताल जनपद चम्पावत/सचिव, धूरा साधन सहकारी समिति लि0 जनपद चम्पावत/जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितिया उत्तराखण्ड चम्पावत	सचिव, धूरा साधन सहकारी समिति लि0 जनपद चम्पावत पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	सहकारिता	5000.00	0			
A-17140	01-05-2015	श्री शेर सिंह पुत्र श्री दुल्ली सिंह ,ग्राम जगतपुर पट्टी तहसील जसपुर पोस्ट शिवराजपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड– 244713/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शिवराजपुर विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शिवराजपुर विकास खण्ड जसपुर जिला उधम सिंह नगर पर कमशः5000–5000 हजार रूपये की शासित आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00	0			
A-17609	05-05-2015	श्री मदन मोहन भट्ट, ग्राम छतौला, पोंस्ट मुक्तेश्वर जिला नैनीताल/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत छतौली जिला नैनीताल/खण्ड विकास अधिकारी रामगढ़, जिला नैनीताल	प्रधान ग्राम पंचायत छतौली जिला नैनीताल पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			पत्रांक संख्या 138/ दिनांक 3.6.3015 के द्वारा 5000 की वसूली कर ली गयी है।
A-17612	06-05-2015	श्री प्रदीप बडथ्वाल,126–ए, विवेक विहार रानीपुर मोड़ हरिद्वार उत्तराखण्ड– 249407/उप वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय प्रार्क 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून/निदेशक,/वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क 5/1 अन्सारी मार्ग देहरादून	उप वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय प्रार्क 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	वन	10000.00	0			

C-9943	29-04-2015	श्री जगदम्बा प्रसाद ममगाई, ग्राम पाली पोस्ट अंजनीसैण टिहरी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 टिहरी गढ़वाल श्री शिव प्रकाश समेवाल पर 18750 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	18750.00	0			
A-17302	12-05-2015	मौ0 यूनुस उस्मानी पुत्र श्री अब्दुल रसीद,निवासी वार्ड नम्बर–6 इस्लामनगर गदरपुर तहसील गदरपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/नायब तहसीलदार गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर /उप जिला अधिकारी बाजपुर कैम्प गदरपुर जिला उधम सिंह नगर	नायब तहसीलदार गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	25000.00	0			
A-17056	08-05-2015	श्री नदीम उद्दीन (एडवोकेट),पुत्र श्री सईद उद्दीन, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग अल्लीखां, काशीपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड/सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंहनगर	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर पंचायत	10000.00	0			पत्रांक संख्या–08/अनु0 –वन/2016 दिनांक 28 जुलाई 2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17772	27-05-2015	चौधरी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कर्णपाल,निवासी ग्राम शेरपुर खेलमऊ तहसील रूड़की जिला हरिद्वार /प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेरपुरखेलमउ, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार /खण्ड विकास अधिकारी नारसन जिला हरिद्वार उत्तरखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शेरपुरखेलमउ, विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			
A-17766	26-05-2015	श्री परमानन्द बलोदी,सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम चम्याड़ी मल्ली, पोस्ट देघाट जिला अल्मोड़ा,/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिक्यासैन जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड/मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिक्यासैन जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	कृषि	5000.00	0			पत्रांक संख्या 252 दिनांक 28.10. 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।

A-17231	27-05-2015	श्री हकूमत सिंह रावत पुत्र श्री श्रीचन्द निवासी खलाड़ी तहसील पुरोला जिला उत्तरकाशी / प्रधान / अध्यक्ष, उपभोक्ता, पेयजल स्वच्छता समिति, ग्राम खलाड़ी पोस्ट एवं तहसील पुरोला जिला उत्तरकाशी / खण्ड विकास अधिकारी पुरोला जिला उत्तरकाशी	प्रधान / अध्यक्ष, उपभोक्ता, पेयजल स्वच्छता समिति, ग्राम खलाड़ी पोस्ट एवं तहसील पुरोला जिला उत्तरकाशी पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00	0			चाला संख्या 01,02,06 के द्वारा तीन किस्तों में जमा कर दिया गया है।
A-17742	25-05-2015	श्रीराम गुप्ता,सम्पादक (क्रान्तिगाथा), लेन नम्बर–4, भरत विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून / सहायक वैज्ञा0 अधि0 बोर्ड मुख्यालय,उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 29 / 20 नेमी रोड देहरादून / पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 29 / 20 नेमी रोड देहरादून	सहायक बैज्ञा0 अधि0 बोर्ड मुख्यालय,उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 29 / 20 नेमी रोड देहरादून पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	5000.00	0			चालान संख्या 00256 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17403	25-05-2015	श्री दीपक कुमार द्वारा श्री वी0के0 राठी,निवासी 335 / 29 सिविल लाईन रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार	अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	10000.00	0			
A-16729	08-05-2015	श्री विवेक जेतली, 92 अद्वेतानन्द मार्ग, अम्बडेकर चौक, ऋषिकेश जिला देहरादून / कार्यालय निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड डाण्डा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड गुजराड़ा, देहरूदन	संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड श्री विजयपाल सिंह बिष्ट डाण्डा लखोण्ड सहस्त्रधारा रोड गुजराड़ा, देहरादून पर 18500 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	चिकित्सा	18500.00	0			

A-17180	13-05-2015	श्री ठाकुर सिंह नेगी,पुत्र श्री श्याम सिंह नेगी, ग्राम थपला मल्ला, पोस्ट पिपली तहसील चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल/प्रधान ग्राम पंचायत थापला विकास खण्ड एकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल/खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर (पणखेत) जिला पौड़ी गढ़वाल	प्रधान ग्राम पंचायत थापला विकास खण्ड एकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			दिनांक 17.12.2015 के द्वारा 5000 रूपये की शास्ति जमा कर दी गयी है।
A-16828	11-05-2015	श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री जयचन्द्र सिंह, गांव बहादराबार, तहसील व जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य, आर्य इण्टर कालेज बौंगला बहादराबाद जिला हरिद्वार /प्रबंधक, आर्य इण्टर कालेज बौंगला बहादराबाद जिला हरिद्वार	श्री बिजेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य, आर्य इण्टर कालेज बौंगला बहादराबाद जिला हरिद्वार पर25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0		WP No. 2041/2015 dated 17-08-2015 CLMA no. 9460/2015	
A-16839	05-05-2015	श्री राम अवतार चन्दा पुत्र श्री भगवान दास,नि0 मजराशीला, पोस्ट व तहसील गदरपुर जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0			
A-17615	06-05-2015	श्री अनिल बहुखण्डी, ढालवाला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड/सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियों नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल	सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	सहकारिता	10000.00	0		WP No. 2143/2015 CLMA No. 9959 of 2015	
A-16789	08-05-2015	श्री देवेन्द्र सिंह ,67 शिवा इंक्लेव, वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून–249201/प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 कोट विशन/प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी भिलंगना घनसाली टिहरी गढ़वाल/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला टिहरी गंढ़वाल नरेन्द्र नगर	प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 कोट विशन/प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी भिलंगना घनसाली टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0		WP no.a 1525/2015 CLMA No.7123/2015	

A-17623	08-05-2015	श्री भास्कर चुग,निकट देहरादून बस स्टैण्ड विकास नगर देहरादून/खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर, जिला देहरादून/जिला विकास अधिकारी जिला देहरादून उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर, जिला देहरादून परप 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00	0			चालान संख्या–0061 दिनांक 17/02/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17173	15-05-2015	श्री हरिओम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री किशन लाल,कचन एम्पोरियम, सराय गंज बद्रीभवन के पीछे, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	5000.00	0			
A-17394	25-06-2015	श्री भीष्म चन्द राणा पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम पाली निवास मास्टर होटल नगर पंचायत वार्ड नम्बर–3 पोस्ट बड़कोट नगर पंचायत बड़कोट जिला उत्तरकाशी/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बड़कोट जिला उत्तरकाशी/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बड़कोट जिला उत्तरकाशी	श्री प्रभु लाल डोभाल सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बड़कोट जिला उत्तरकाशी पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	लोक निर्माण	25000.00	0			पत्रांक संख्या 1738 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17019	26-05-2015	श्री सेवा राम पुत्र श्री चेतनदास,निवासी ग्राम माजरी डा0 पिरान कलियर हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	श्री जगमोहन सोनी,जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0			

A-16765	21-03-2015	श्री एस0एल0 भारद्वाज,प्रदेश सचिव, अ0जा0/ज0जा0 (प्र0) उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी ग्राम व पोस्ट श्रीकोट गंगानाली श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल,/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	विद्यालयी शिक्षा	10000.00	0	0		चैक नम्बर–680580 दिनांक 20/5/2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17896	10-06-2015	श्री वीरेन्द्र सिह, ग्राम महड़ वल्ला, पोस्ट झटकण्डी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा मेहड पो0 झटकण्डी विकास खण्ड कल्जीखाल जिला पौडी गढ़वाल/खण्ड विकास अधिकारी कल्जीखाल, पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा मेहड पो0 झटकण्डी विकास खण्ड कल्जीखाल जिला पौडी गढ़वाल पर 12750 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम्य विकास	12750.00	0	0		
A-17806	01-06-2015	श्री भगवती प्रसाद सती,ग्राम सीरी विकास खण्ड एवं पटवारी क्षेत्र नारायणबगड़, पो0 डुग्री, तहसील थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड/प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सीरी विकास खण्ड एवं पटवारी क्षेत्र नारायणबगड़, तहसील थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड	प्रधान/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम सीरी विकास खण्ड एवं पटवारी क्षेत्र नारायणबगड़, तहसील थराली जिला चमोली उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम्य विकास	25000.00	0	0		पत्रांक संख्या 464 दिनांक 2.11.2015 के द्वारा प्रथम किस्त 15000 रूपये की शास्ति जमा कर दी गई है।
A-17060	25-05-2015	श्री नदीम उद्दीन (एडवोकेट),पुत्र श्री सईद उद्दीन, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग अल्लीखां, काशीपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड/सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर /मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंहनगर	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	5000.00	0			

A-16907	04-06-2015	श्री नानक चन्द लोहिया (उप प्रधान), आर्य दायित्वशील जन मंच, आर्य समाज मार्ग हल्द्वानी जिला नैनीताल/कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी कोश्या कुटैली श्री चन्द्र सिंह मर्तोलिया पर 6000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	6000.00	0			
A-16790	19-03-2015	श्री कुलविन्दर सिह पुत्र श्री बलवीर सिंह,नि0 लामाखेड़ा, टॉडा फार्म, पोस्ट लामाखेड़ा, तहसील सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंह नगर	खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				पत्रांक संख्या 71–72 दिनांक 06.5.2015 के द्वारा प्रथम किस्त 8500 की धनराषि वाउचर संख्या 0187 दिनांक 27.4.2015 के द्वारा राजस्व खाते मे जमा कर दिया गया है
A-17901	11-06-2015	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, अपर सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, निरंजनपुर सब्जी मण्डी देहरादून/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर जिला देहरादून/मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सहसपुर जिला देहरादून पर 4250 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	कृषि	4250.00	0	0		चालान संख्या 31 दिनांक 16.07.2015 के द्वारा जामा कर दिया गया है।
A-17667	23-06-2015	श्री शैलेन्द्र थपलियाल, सागर स्टूडियो नटराज चौक, ऋषिकेश जिला देहरादून/कार्यालय प्रबध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम राजपुर रोड देहरादून/प्रबध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम राजपुर रोड देहरादून	कार्यालय प्रबध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम राजपुर रोड देहरादून पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	पर्यअन	5000.00				चालान संख्या–379 दिनांक 16.10.02015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-18087	26-06-2015	श्री नवीन चन्द्र जोशी, ग्राम लाखतोली, पोस्ट सलिया जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाखतोली, विकास खण्ड गगोलीहाट, जिला पिथौरगढ/ खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाखतोली, विकास खण्ड गंगोलीहाट, जिला पिथौरगढ पर 15000 रू. की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	15000.00	0			चालान संख्या 0026 दिनांक 23.9.2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है।

A-18172	03-07-2015	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम चुपड़ाखेत, पोस्ट आदिचौरा, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, छिमाली विकास खण्ड डीडीहाट जिला पिथौरागढ/खण्ड विकास अधिकारी डीडीहाट जिला पिथौरागढ़	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, छिमाली विकास खण्ड डीडीहाट जिला पिथौरागढ पर 5000. 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00				
A-16915	14-07-2015	श्री सुन्दर सिंह, 14 बीघा, पोस्ट मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल उत्तरखण्ड/ अनुभाग अधिकारी सेवा–1, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखण्ड/अनु सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखण्ड	अनुभाग अधिकारी सेवा–1, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार उत्तराखण्ड डा0 प्रशान्त, अनुभाग अधिकारी सेवा–1 पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	कार्मिक	25000.00			WP No. 2144/2015 ,	
A-17884	20-07-2015	श्री जगदम्बा प्रसाद पुरोहित,ग्राम व पोस्ट मैठाणा, जिला चमोली/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मैठाणा, विकास खण्ड दशोली जिला चमोली/खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड दशोली जिला चमोली	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मैठाणा, विकास खण्ड दशोली जिला चमोली तत्कालीन एवं वर्तमान ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पर 20000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	20000.00				
A-17883	20-07-2015	श्री अनसुया लाल पुत्र श्री जोरा लाल, ग्राम पाली पोस्ट गुथनौर तहसील बड़कोट जिला उत्तरकाशी/प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पाली पोस्ट कुथनौर तहसील बड़कोट, विकास खण्ड नौगांव, जिला उत्तरकाशी	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पाली पोस्ट कुथनौर तहसील बड़कोट, विकास खण्ड नौगांव, जिला उत्तरकाशी पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00				चालान संख्या दिनांक 13.08. 2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है।

A-17954	24-07-2015	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह,ग्राम दल्लावाला विकास खण्ड खानपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार – 247663/प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दल्लावाला विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दल्लावाला विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00				चालान संख्या 27 दिनां 8 सितम्बर 2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17930	24-07-2015	डा0 ललित प्रसाद जोशी,इन्दानगर, ।। बिन्दूखत्ता, लालकुआ जिला नैनीताल/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण नैनीताल/मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, भीमताल जिला नैनीताल/प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़ जिला नैनीताल	प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़ जिला नैनीताल पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	10000.00			WP No. 1322/2016 dated 16 may 2016,	
A-17380	11-08-2015	श्री नितिन कुमार, एडवोकेट,चेम्बर नम्बर–33 जिला कोर्ट रोशनाबाद, जिला हरिद्वार – 249403/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की, जिला हरिद्वार/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड– 247667/श्री दीपक शुक्ला लेखाकार कार्य, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूडकी जिला हरिद्वार	श्री दीपक शुक्ला लेखाकार कार्य, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय रूडकी जिला हरिद्वार पर 15500 की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	15500.00				
A-17237	03-08-2015	श्रीमती प्रीती भटनागर,199 वनस्थली साउथ, मन्दिर लेन, बल्लूपुर देहरादून उत्तराखण्ड/मानव संसाधन उपकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन देहरादून/मुख्य अभियन्ता स्तर –1 वाणिज्य उपाकालि विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन देहरादून	महाप्रबंधक, श्री के0बी0 चौबे, मानव संसाधन उपकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह भवन देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00			WP No. 7/2916 dated 23rd Feb. 2016	

A-17241	31-07-2015	श्री मुजीबुर्रहमान पुत्र श्री जहूर हसन,कोर्ट रोड हरबर्टपुर जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून/मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड	श्री पदमेन्द्र सकलानी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 1208/2916 dated 10th May. 2016	
A-17477	20-07-2015	श्री हरदीप शर्मा, जनपक्ष आजकल पत्रिका, 11/10 सीं–1, एजेण्डा विजनैस सेन्टर राजपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड/सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिह नगर/मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम काशीपुर जिला उधम सिह नगर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00			WP No. 999/2016 dated 29/04/2016	
A-17959	20-07-2015	श्री इसम सिंह पुत्र स्व0 श्री चौहल सिंह,ग्राम पीरपुरा पोस्ट मंगलौर तहसील रूड़की जिला हरिद्वार /अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला हरिद्वार /जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन, रोशनाबाद जिला हरिद्वार	पटल सहायक, श्री विनोद कुमार तोमर जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय विकास भवन रोशनाबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	25000.00				
C-9809	06-08-2015	श्री योगेश कुमार,राज राजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेस ।।, देहराखास पो0 ओ0 पटेल नगर, देहरादून/लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय, अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/ अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 817/2016 dated 5th April 2016	
C-10382	27-07-2015	श्री किशोर मैठानी, सम्पादक, ग्रामीण समय, कैम्प कार्यालय नटराज चौक ऋषिकेश जिला देहरादून–249201/लोक सूचना अधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	25000.00			WP No. 2663/2015 CLMA No. 12340 of 2015	

C-10383	28-07-2015	श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री केशव दत्त उप्रेती, कुन्जनपुन वार्ड नम्बर–7, पोस्ट गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ/लोक सूचना अधिकारी / 1. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ / 2. पूर्व ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कूँ उप्रेती द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कूँ उप्रेती द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	5000.00				चालान संख्या 00015 दिनांक 13.10.2015 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17200	29-01-2015	श्रीमती राजमती गुसांई, पदमपुर सुखरौ, नजदीक सुन्द्रियाल वेडिंग प्वाईट कोटद्वार जिला पौडी गढ़वाल. – 246149,/उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल	उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ऊर्जा	5000.00	0	0		चालान संख्या 29 जुलाई 2015 के द्वारा जमा कर दिया गया हो।
A-17015	26-08-2015	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय,148 विष्णुपुरी मोहनपुर टनकपुर जिला चम्पावत/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला चम्पावत/मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला चम्पावत पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0	Stayed	
A-18501	08-09-2015	श्री रामलाल नवानी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल, गोपालकृटि, धर्मशाला, देहरादून मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून/उप वन संरक्षक/उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून/निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून उत्तराखण्ड	उप वन संरक्षक/उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की की जाती है।	वन	25000.00				पत्रांक संख्या 2813 दिनांक 9.5.2014 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-18501	07-09-2015	श्री मौ0 अय्यूब पुत्र स्व0 श्री इब्राहिम, ग्राम व पोस्ट अम्बाड़ी, वाया डाकपत्थर देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी कालसी जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. जिला देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी कालसी जिला देहरादून पर 11500 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	11500.00	0	0		

A-17857	08-09-2015	श्री प्रज्ञा कुशवाहा,कुंज बिहार, पोस्ट बंजारावाला देहरादून उत्तराखण्ड / खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी जिला देहरादून / जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) देहरादून उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		भारतीय स्टेट बैक के चालान द्वारा मुख्य शाखा देहरूदन में जमा कर लिया गया है।
A-17945	31-08-2015	श्री चन्द्र शेखर करगेती, एडवाकेट, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर, सेंट लौरेंस स्कूल के पास डहरिया, पोस्ट मानपुर पश्चिम हल्द्वानी जिला नैनीताल / जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक रूद्रपुर जिला उधम सिह नगर / मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला उधम सिंह नगर	जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक रूद्रपुर जिला उधम सिह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		
A-16785	22-07-2015	श्री बीर बंसत डंडरियाल, ग्राम माजरी माफी आई.आई.पी. देहरूदन / खण्ड शिक्षा अधिकारी डोईवाला जिला देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी डोईवाला जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती हैं	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		
A-16845	21-08-2015	श्री अरूण कुमार सैनी, 29 / 3, कृष्णा नगर रूड़की जिला हरिद्वार / मानव संसाधन, उत्तराखण्ड पावर कारपारेशन विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून / मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (वाणिज्य) उपाकालि0 विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून	मानव संसाधन, उत्तराखण्ड पावर कारपारेशन विक्टोरिया कास विजेता, गबर सिंह भवन, देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00	0	0		चालान संख्या–00181 के माध्यम से जमा कर लिया गया है।
A-17201	26-08-2015	श्री तरसेब सिंह तोमर,निवासी एनफील्ड, टी स्टेट, निकट सन्तोषी माता मन्दिर विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड / जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला देहरादून उत्तराखण्ड / मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		

A-17020/17031/17032	04-09-2015	श्री चन्द्र शेखर करगेती, एडवोकेट, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर, सेंट लौरेंस के पास डहरिया, पोस्ट मानपुर पश्चिम हल्द्वानी जिला नैनीताल/जिला परियेाजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	जिला परियेाजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड क्रमशः तीनों अपीलों में 25000,25000,25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	75000.00	0	0		
A-17010	08-09-2015	सुश्री कीर्ति शर्मा,पुत्र श्री देवेंन्द्र कुमार शर्मा, वृहस्पति देव मन्दिर के ठीक सामने वाली गली मकान नम्बर 35/2 जगतपुरा रोड आवास विकास रूद्रपुर जिला उधम सिह नगर/नगर निगम रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर /मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम रूद्रपुर जिला उधम सिंहनगर	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00	0	0		
A-18274	07-09-2015	श्री विनोद गुम्बर 'वीनू' राष्ट्रीय सदस्य,भा0ज0यू0मो0 एफ–55, आदर्श कालोनी रूद्रपुर उधमसिंह नगर /प्रधानाचार्य गो0ब0पन्त इण्टर कालेज चकरपुर खटीमा उधम सिंह नगर /प्रबंधक, गो0ब0पन्त इण्टर कालेज चकरपुर खटीमा उधम सिंह नगर	प्रधानाचार्य गो0ब0पन्त इण्टर कालेज चकरपुर खटीमा उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				पत्रांक 2531 दिनांक 09.10.2015 के द्वारा चालान संख्या 05 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-14040	28-08-2015	डा0 सरीन कुमार, प्रवक्ता भौतिकी, डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य डा0 हरिराम इण्टर कालेज हरिद्वार/प्राधिकृत नियंत्रक डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी, प्रधानाचार्य डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		

C-9695	14-08-2015	श्री श्याम कुमार राणा पुत्र स्व0 श्री जोगीदास राणा, ग्राम खेतल सण्डा मुस्ताजर, (बूढ़ाबाग) चकरपुर बिल्हैरी तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर/लोक सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय लेखपाल, नौगवानाथ द्वारा तहसीलदार खटीमा, जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी/ क्षेत्रीय लेखपाल, नौगवानाथ द्वारा तहसीलदार खटीमा, जिला उधम सिंह नगर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	25000.00	0	0	WP No. 1049/20916 dated 27th April 2016	
C-9085	28-08-2015	डा0 सरीन कुमार, प्रवक्ता भौतिकी, डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य डा0 हरिराम इण्टर कालेज हरिद्वार/प्राधिकृत नियंत्रक डा0 हरिराम इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार	प्रधानाचार्य डा0 हरिराम इण्टर कालेज हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0			
A-15612/16366/16367	03-09-2015	श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा चमन सिंह,67 शिवा इंक्लेव, वीरभद्र मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून – 249201/प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कोट विशन टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टिहरी गढ़वाल नरेन्द्र नगर उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कोट विशन टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00	0	0		
A-18551	23-09-2015	श्रीमती सम्पति देवी पत्नी स्व0 गुलाब सिंह नेगी, अपर नत्थनपुर नजदीक ज्वाल्पा मंदिर, देहरादून उत्तराखण्ड/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय पौड़ी गढ़वाल/अपर जिला अधिकारी, पौडी गढ़वाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय पौड़ी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	राजस्व	25000.00	0	0		
C-10088	21-08-2015	हे0का0 13 नागरिक पुलिस, श्री संदीप पिलख्वाल, पुलिस मुख्यालय देहरादून उत्तराखण्ड/लोक सूचना अधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर/विभागीय अपीलीय अधिकारी/ पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊ परिक्षेत्र नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	गृह	25000.00	0	0	WP No. 17/2016	

A-18237	01-09-2015	श्री विजय सक्सेना, एडवोकेट चेम्बर नम्बर–315 जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार /मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड/निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौडी	श्री नरेश चौधरी, सचिव,रेडक्रास सोसायटी हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है	चिकित्सा	10000.00	0	0		चालान संख्या 31दिनांक 03.11.2015 के द्वारा 1000 हजार रूपये की धनराषि जमा कर दी गयी है।
A-17664	21-08-2015	श्री चरण सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह,ग्राम फुलगढ़, पोस्ट सुल्तानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/खण्ड शिक्षा अधिकारी, बहादराबाद जिला हरिद्वार /जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान जिला हरिद्वार पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	10000.00	0	0		
A-18230	25-08-2015	श्री नवीन चन्द्र भटट,ग्राम धनौरी पट्टी एवं पोस्ट प्रतापपुर तहसील काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम धनौरी, खण्ड विकास काशीपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम धनौरी, खण्ड विकास काशीपुर जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड पर 3000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	3000.00				
C-10604	21-09-2015	श्री देवी लाल पुत्र श्री औसानू लाल,ग्राम दिउली पोस्ट लदोली तहसील एवं जिला रूद्रप्रयाग/लोक सूचना अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड /विभागीय अपीलीय अधिकारी / उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय मानपुर पूरब रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड पर 10000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	10000.00	0	0		चालान संख्या 27 दिनांक 30.11.2015 के द्वारा जमा कर दिया गया है।

C-10247	05-10-2015	श्री चन्द्रशेखर करगेती, द्वारा कल्याणी जनरल स्टोर सेट लौरेंस स्कूल के पास डहरिया पोस्ट मानपुर पश्चिम हल्द्वानी जिला नैनीताल/लोक सूचना अधिकारी/ अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/ अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	25000.00	0	0		
A-18057	22-09-2015	श्री राजेन्द्र सिंह टोलिया पुत्र स्व0 श्री नाथू सिंह टोलिया,हाल मल्ला घोरपट्टा तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ/कार्यालय, तहसीलदार तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ	कार्यालय, तहसीलदार तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ 25000 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	राजस्व	25000.00	0	0		
A-17721	06-10-2015	श्री पूरण सिंह, पुत्र श्री खजान सिंह,ग्राम बडनू, पोस्ट दातूनू तहसील कालसी, जिला देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0 देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी जिला देहरादून पर 13000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	13000.00	0	0		चालान संख्या 2 दिनांक 3 सितम्बर 2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-17289	21-09-2015	श्री सचिन संत, 238–अ, गोविन्दपुरी हरिद्वार उत्तराखण्ड /लेखाकार, नगर निगम हरिद्वार जिला हरिद्वार /मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार उत्तराखण्ड	नगर अभियन्ता नगर निगम हरिद्वार जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00	0	0		
A-17721	06-10-2015	श्री पूरण सिंह, पुत्र श्री खजान सिंह, ग्राम बडनू, पोस्ट दातूनू तहसील कालसी, जिला देहरादून/खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी जिला देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0 देहरादून	खण्ड शिक्षा अधिकारी, कालसी जिला देहरादून पर 13000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	13000.00	0	0		
A-17398	26-05-2015	श्री धनपत सोनकर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी शुगर मिल रोड डोईवाला देहरादून उत्तराखण्ड / प्रबंधक, डोईवाला गैस सर्विस जिला देहरादून	प्रबंधक, डोईवाला गैस सर्विस जिला देहरादून पर 2000 दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	सहकारिता	2000.00				

C-10180	28-01-2015	श्री ईश्वर पुत्र श्री बारू सिंह रेलवे रोड निकट जिला हसकारी बैक रायसी पोस्ट रायसी, जिला हरिद्वार /प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पोडोवाली, विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार	प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पोडोवाली, विकास खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	10000.00				
A-17994	19-06-2015	श्री द्वारिका प्रसाद चमोली,ग्राम पालीखाल, पोस्ट रणाकोट, विकास खण्ड कोट, जिला पौड़ी गढ़वाल/अध्यक्ष, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम सभा पाली नौगांव विकास खण्ड कोट जिला पौड़ी गढ़वाल/खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कोट जिला पौड़ी गढ़वाल	अध्यक्ष, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम सभा पाली नौगांव विकास खण्ड कोट जिला पौड़ी गढ़वाल पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	पेयजल	10000.00				
A-16724	17-06-2015	श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी ग्राम व पोस्ट कालसी बाजार जिला देहरादून उत्तराखण्ड/मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून/निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	चिकित्सा	25000.00				
A-17625	17-06-2015	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह ग्राम कुरड़ी, पोस्ट मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड– 247656/खण्ड विकास अधिकारी नारसन, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/जिला विकास अधिकारी, नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी नारसन, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 15000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	15000.00				पत्रांक 784 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा माह जुलाई 2015 के वेतन से कटौती कर ली गयी है।
A-17511	03-06-2015	श्री ललित मोहन शर्मा, एडवोकेट द्वितीय ब्लाक चैम्बर नम्बर–57, विपरीत बार एसोसियेशन, कचहरी परिसर देहरादून/कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून/अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00				

A-15944	23-06-2015	श्री सदीप तोमर पुत्र श्री महेन्द्र सिंह गाम पपडियांन पोस्ट कटापत्थर वाया डाकपत्थर जिला देहरादून/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पपडियान विकास खण्ड विकास नगर जिला देहरादून	देहरादून/प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पपडियान विकास खण्ड विकास नगर जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	25000.00				चालान संख्या 0010 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-17594	15-06-2015	श्री सतीश कुमार आर्य, सम्पादक, प्रेमवाणी हि0 सा0, निवासी 110, फ्रैन्डस कालोनी, मल्हीपर रोड जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरिद्वार उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	चिकित्सा	5000.00				
A-18524	19-11-2015	श्री चैत सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 श्री छवाण सिंह, ग्राम जोगियाना, डाकघर किमसार, जिला पौडी गढ़वाल–246121/कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल/जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल पर 2500 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	2500.00				कार्यालय आदेश सख्या 371 दिनांक 28 जून 20143 के द्वारा जमा किया जा चुका है।
A-17718	19-11-2015	श्री नारायण सिंह रावत मार्फत श्री हरेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री मंगल सिंह, ग्राम भीताकोटखाल, मल्ला, पोस्ट गढ़कोट तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा/प्रधानाचार्य, रा0उ0मा0 भीताकोट, विकास खण्ड सल्ट जिला अल्मोड़ा/खण्ड शिक्षा अधिकारी, सल्ट जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य, रा0उ0मा0 भीताकोट, विकास खण्ड सल्ट जिला अल्मोड़ा पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				

C-9500	05-11-2015	श्री वकील पुत्र श्री शब्बीर , ग्राम नगला खुर्द, पोस्ट श्यामपुर तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथिमिक विद्यालय नगलाखुर्द विकास खड बहादराबाद जिला हरिद्वार खण्ड शिक्षा अधिकारी ब्लाक बहादराबाद हरिद्वार/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जिला हरिद्वार	प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथिमिक विद्यालय नगलाखुर्द विकास खड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				भारतीय स्टेट बैंक लक्सर दिनांक 20.06.2016 के चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।
A-18365	09-11-2015	श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ला,डा0 शुक्ला गली वार्ड नम्बर–8, शुक्ला हो0 मेडीकोज टनकपुर चम्पावत/ खण्ड शिक्षा अधिकारी विण जनपद पिथौरागढ/प्रधानाचार्य राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कुम्मयाचौड़ जनपद पिथौरागढ/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पिथौरागढ उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी विण जनपद पिथौरागढ/प्रधानाचार्य राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कुम्मयाचौड़ जनपद पिथौरागढ पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				
A-18501	17-11-2015	श्री राजेन्द्र खर्कवाल/मोहनपुर, टनकपुर जिला चम्पावत/कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत/जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	समाज कल्याण	25000.00				
A-18129	06-11-2015	श्री रामलाल नवानी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल, गोपालकुटि, धर्मशाला, देहरादून मार्ग ऋषिकेश जिला देहरादून/उप वन संरक्षक/उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून/निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून उत्तराखण्ड	उप वन संरक्षक/उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	वन	25000.00				पंत्राक 1162 दिनांक 1/3/2016 के द्वारा माह फरवरी के वेतन से कटौती की गयी है।

A-18049	19-11-2015	श्री अनूप रावत, सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय टिहरी गढ़वाल नई टिहरी/जिला सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय नई टिहरी/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड	जिला सेवायोजन अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय नई टिहरी पर 5750 रूपये की शास्ति आरोपति की जाती है।	श्रम एवं सेवायोजन	5750.00				पत्रांक 735/शास्ति/2016 दिनांक 2 जनवरी 2016 के द्वारा जाम किया जा चुका हैं।
A-17474	20-11-2015	श्री वी0के0 चौधरी, 10 बंगाली लाइब्रेरी रोड देहरादून/अधिशासी अभियन्ता,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनुपर रोड देहरादून/सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, सहारनपुर रोड नियर ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून	अधिशासी अभियन्ता,मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनुपर रोड देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	एम.डी.डी.ए.	25000.00				पत्रांक 2842 दिनांक 17/02/2016 के चालान द्वारा कटौती कर ली गयी है।
A-18334	23-11-2015	श्री दीपेन्द्र सिह गुंसाई, एडवाकेट 38 शिवपुरी कालोनी, डाकपत्थर देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0/सर्व शिक्षा अभियान देहरादून उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0/सर्व शिक्षा अभियान देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 948/2016 dated 18/04/2016	
A-18282	27-11-2015	श्री ललित मोहन सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह साइबर साल्यूशन, तहसील रोड, बागेश्वर/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर जिला बागेश्वर/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ,उपाकालि, हाईडिल कालोनी रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर जिला बागेश्वर पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00				पत्रांक संख्या 2565 दिनांक 29/02/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-18878	16-11-2015	श्री विरेन्द्र धीमान विश्वकर्मा, प्रधान सम्पादक, 231 गणेशपुर रूड़की जिला हरिद्वार /खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार /जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ग्राम्य विकास	25000.00				

A-16788	18-12-2015	श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव 97 राजपुताना पश्चिमी रूड़की जिला हरिद्वार /जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 1156/2016 dated 10th May 2016	
A-18277	22-12-2015	श्री सुन्दल लाल उनियाल पुत्र श्री बरपेश्वरानन्द उनियाल ग्राम रतोली पोस्ट खण्डोगी, पट्टी जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल/कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी उत्तराखण्ड/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लाक निर्माण विभाग, नई टिहरी उत्तराखण्ड	कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	लोक निर्माण	25000.00				चालान संख्या 48 दिनांक 10.06. 2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है
A-16855	21-12-2015	श्री श्रीराम पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल निवासी 793/731 धर्मपुर बाईपास रोड मीनाक्षी वैडिंग प्वाईट के सामने देहरादून उत्तराखण्ड/विशेष कार्याधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून/सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनपुर रोड निकट ट्रान्सपोर्ट नगर देहरादून	विशेष कार्याधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून पर 4750 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	एम.डी.डी.ए.	4750.00				पत्रांक संख्या 460/2016 दिनांक 20 मई 2016 के द्वारा माह अप्रैल 2016 से कटौती कर दी गयी है।
C-10770	31-12-2015	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिह चुफाल, ग्राम चुपड़ाखेत, पोस्ट अदिचौरा, तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0) लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए0डी0बी0) लोक निर्माण विभाग पिथारौगढ़ उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	लोक निर्माण	25000.00				चालान संख्या 47 दिनांक 27.01. 2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है

C-10837	12-12-2015	श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री जयचन्द सिंह ग्राम व पोस्ट बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड /प्रधानाचार्य आर्य इण्टर कालेज बहादराबाद जिला हरिद्वार /प्रबंधक, आर्य इण्टर कालेज बहादराबाद जिला हरिद्वार	प्रधानाचार्य आर्य इण्टर कालेज बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 397/2016 dated 25th Feb. 2016	
A-18888	12-12-2015	श्री खीम सिंह बिष्ट वरिष्ठ नागरिक एस0के0पुरम, हरिनगर कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जिला नैनीताल/उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण ग्रामीण उपखण्ड, कमुलुआंगांजा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण) उत्तराखण्ड पावर कारपोरशन लि0,79 हीरान्नगर, हल्द्वानी जिला नैनीताल	उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण ग्रामीण उपखण्ड, कमुलुआंगांजा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00				
A-18449	08-12-2015	श्री अनिल बिष्ट, सम्पादक, उत्तराखण्ड स्तम्भ, नाथ एण्ड कम्पनी निकट वैश्य कुमार सभा, ज्वालापुर रोड कनखल जिला हरिद्वार /सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार/ मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार उत्तराखण्ड	सहायक नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00				
A-18496	12-12-2015	श्री रमेश चन्द्र चौहान, पुत्र स्व0 श्री नाहर सिंह, निवासी वैस्ट कैनाल रोड सेवला कला माजरा देहरादून/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी जिला देहरादून/मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता स्थित कालसी जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	कृषि	25000.00			WP No. 434/2016 dated 1st Mach 2016	
C-10829	12-12-2015	श्री रवि किशन सैनी, ग्राम रायपुर पोस्ट भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड – 247661/कार्यालय जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी जिला हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 जिला हरिद्वार पर 8000 रूप्ये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	8000.00				

A-18654	23-12-2015	श्री एस0 एल0 भ्रामरी, 827/1 सिरमौर मार्ग , कौलागढ़ रोड , देहरादून/मुख्यालय उत्तराखण्ड वन विकास निगम शिविर कार्यालय 73 नेहरू रोड देहरादून/महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून उत्तराखण्ड	प्रभागीय प्रबंधक,मुख्यालय उत्तराखण्ड वन विकास निगम शिविर कार्यालय 73 नेहरू रोड देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	वन	25000.00				पत्रांक संख्या 6909 दिनांक 4 जनवरी 2016 के माध्यम से माह जनवरी 2016 के वेतन से कटौती कर ली गयी है।
C-10784	21-12-2015	श्री शीशपाल सिंह गांधीनगर पोस्ट मालधन चौड़ वाया काशीपुर जनपद नैनीताल–244713/कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 12250 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	12250.00				चालान संख्या–143 दिनांक 22/02/2016 के द्वारा जमा कर लिया गया है।
A-18957	18-01-2016	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री ब्रहमा नन्द शर्मा, ग्राम बहादरपुर खादर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार /जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड	जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	पंचायती राज	25000.00				
A-18689	20-01-2016	श्री विनोद कुमार जैन, एल–79 ऋषिलोक कालोनी ऋषिकेश जिला देहरादून– 249201/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ग्रामीण उपाकालि0 18 ई0सी0 रोड देहरादून	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून पर 21250 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	21250.00				
A-18671	21-01-2016	श्री विनोद कुमार जैन, एल–79 ऋषिलोक कालोनी ऋषिकेश जिला देहरादून– 249201/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल ग्रामीण उपाकालि0 18 ई0सी0 रोड देहरादून	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, शैल विहार, ऋषिकेश जिला देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00				पत्रांक 1191 दिनांक 24 फरवरी 2016 के द्वारा जमा कर दिया गया है।

A-18311	22-01-2016	श्री जुगल द्वारा मै0 कम्प्यूटर वर्ल्ड ,प्रथम मजिल हरि मार्केट, निकट पुरानी सब्जी मण्डी चौक, मेन बाजार रूड़की जिला हरिद्वार/प्रमुख अधीक्षक, हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय हरिद्वार	प्रमुख अधीक्षक, हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	चिकित्सा	25000.00				
A-17228	29-01-2016	श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री मथुरा प्रसाद मालकोटी, मकान नम्बर–79 श्री चन्द्र नगर, गुरूबक्श विहार कनखल जिला हरिद्वार– 249408/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखण्ड	प्रधानाचार्य, राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	औद्योगिक विकास	25000.00			WP No. 474/2016 dated 4th March 2016	
A-18662	15-01-2016	श्री गोविन्द सिंह रावत, ग्राम एव पोस्ट भिक्यासैन, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड– 263667/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर जिला चमोली/अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तारखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम गोपेश्वर जिला चमोली	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उत्तराखण्ड पेयजल निगम गोपेश्वर जिला चमोली पर 24500 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	पेयजल	24500.00				
A-16584	20-01-2016	श्री भगत सिंह राठौर पुत्र श्री नत्थू सिंह ग्राम हरिपुर पोस्ट सेलाकुई देहरादून उत्तराखण्ड/खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर जिला देहरादून/जिला विकास अधिकारी जिला देहरादून उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 254/2016 Urgency application (IA no. 794/2016	
A-18273	11-01-2016	श्री हसमत अली, सचिव, वक्फ सं.79 दरगाह हजरत शेर अली बाबा, बाईपास रोड काठगोदाम जिला नैनीताल, निवासी गौला पुल काठगोदाम/जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान नैनीताल/उप शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 भीमताल जिला नैनीताल	जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान नैनीताल/उप शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 भीमताल जिला नैनीताल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				

A-18283	12-01-2016	श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री अब्दुल हमीद,उत्तरी खताड़ी रामनगर जिला नैनीताल/ खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर जिला नैनीताल/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0 जिला नैनीताल	खण्ड शिक्षा अधिकारी रामनगर जिला नैनीताल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				
C-10632	04.02.2016	श्री उदय नारायण तिवाड़ी, मुख्य संपादक अपनी बागवानी कार्यालय ग्राम व पोस्ट कोटी विस्थापित क्षेत्र, अठूरवाला देहरादून उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, झाझरा, प्रेमनगर, देहरादून /संपर्क अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, झाझरा, प्रेमनगर, देहरादून	संपर्क अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, झाझरा, प्रेमनगर, देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विज्ञान प्रौद्योगिकी	25000.00				
A-17975	02.02.2016	श्रीमती भगवती गोस्वामी प्र0अ0 ा0प्रा0 विद्यालय अमोली, विकास खण्ड गरूड़ जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड/उप शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0, विकास खण्ड गरूड़, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0 बागेश्वर	उप शिक्षा अधिकारी प्रा0 शि0, विकास खण्ड गरूड़, जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड श्री आकाश सारस्वत वर्तमान जिला उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0 शि0 जनपद बागेश्वर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 1454/2016 dated 27th May 2016	
A-19037	17.02.2016	श्री राजकुमार, 16/311 खालसा स्टीट, इन्छाराम लड़ेतिया घर निकट कटोराताल चौक पोस्ट काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड/खण्ड शिक्षा अधिकारी चकराता देहरादून/जिला शिक्षा अधिकारी जिला देहरादून उत्तराखण्ड	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून श्री पदमेन्द्र सकलानी जो प्रबंधक राज्य साक्षरता मिशन उत्तराखण्ड देहरूदन पर 3750 की शास्ति अरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	3750.00				

A-19032	09.02.2016	श्री इकबाल अहमद, विकास खण्ड कार्यालय रायपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड / उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून / कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखण्ड	सहायक कुल सचिव, श्री संजीव कुमार पाण्डेय उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	उच्च शिक्षा	25000.00				
A-18782	15.02.2016	श्री के0एस0 झिक्वांण, एडवोकेट, तहसील परिसर गैरसैण जिला चमोली / प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गैरसैण जिला चमोली / निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल	प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गैरसैण जिला चमोली पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	उच्च शिक्षा	25000.00				
A-18262	24.12.2015	श्रीमती सुमनलता उपाध्याय, 153–बी / 12 सोलानी कुंज, आई.आई. टी. रूड़की जिला हरिद्वार / उप शिक्षा अधिकारी, रूड़की जिला हरिद्वार / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. रोशनाबाद जिला हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी, रूड़की जिला हरिद्वार पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				
A-18795	04.03.2016	श्री शक्ति सिंह बर्त्वाल,वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजिक कार्यकर्ता, लोअर गढ़वाली कालौनी, नेहरूग्राम देहरादून / मुख्यालय पिटकुल विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 क्रासिग सहारपुर रोड माजरा जिला देहरादून / मुख्यालय पिटकुल विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 क्रोसिग सहारपुर रोड माजरा जिला देहरादून	मुख्यालय पिटकुल विद्युत भवन, नजदीक आई0एस0बी0टी0 क्रासिग सहारपुर रोड माजरा जिला देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	ऊर्जा	25000.00			WP No. 1091/2016 Dated 29/04/2016	
A-18075	04.03.2016	श्री विशाल गोस्वामी पुत्र श्री मोहनदास गोस्वामी,निवासी गोरक्षनाथ मन्दिर, अपर रोड हरिद्वार जिला उत्तराखण्ड / उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार / जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि0 हरिद्वार	उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 25000 हजार रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00			WP No. 1436/2016 Dated 25/05/2016	

A-17462	29.02.2016	श्री बुद्धि सिंह पंवार पुत्र श्री बल्देव सिंह पंवार, एडवाकेट, भैरव चौक, बाड़ाहाट उत्तरकाशी/अनु सचिव, सिंचाई अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	अनु सचिव, सिंचाई अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	सिंचाई	25000.00				
C-10950	09.03.2016	श्री अवधेश नौटियाल,आई–107, नेहरू कालोनी देहरादून/ कुल सचिव, तकनीकी विश्वविद्यालय सुद्वोवाला देहरादून/ श्री पी0के0 जोशी, वित्त नियंत्रक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री पी0के0 जोशी, वित्त नियंत्रक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून पर 8750 रूपये की शास्ति ओराहित की जाती है।	वित्त	8750.00			WP No. 1151 dated 5th May 2016	
A-16612	04.03.2016	श्री एस0एस0 चौहान, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर–6, सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून उत्तराखण्ड/कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून/अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून	कर अधीक्षक, नगर निगम देहरादून पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	नगर निगम	25000.00				पत्रांक संख्या 2226/2015–16 के द्वारा 25000 हजार रूपये की शास्ति जमा कर दी गई है।
A-17503	09.03.2016	मौ0 इस्लाम पुत्र नूरहसन,निवासी ग्राम बसेड़ी खादर लक्सर जिला हरिद्वार /खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड/प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवरग्रीन मार्डन, जू0 हा0 स्कूल, बसेड़ीखादर, लक्सर जिला हरिद्वार /तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री जगमोहन सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बागेश्वर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री जगमोहन सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला बागेश्वर पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	विद्यालयी शिक्षा	25000.00				
A-18982	29.03.2016	श्री अनिल वर्मा,लाल मन्दिर कालोनी, ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जिला हरिद्वार	तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 13750 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	13750.00				

A-19028	29.03.2016	श्री लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल,ग्राम पंचायत मल्ड, पो0 ऑ0 डांगी नैल चामी, घनसाली, विकास खण्ड भिलंगना टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल / जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड	खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल पर 25000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम्य विकास	25000.00				
A-18655	30.03.2016	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री रतन सिंह,ग्राम मीरपुर मुवाजरपुर पोस्ट गढ़मीरपुर तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गढ, विकास खण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड / खण्ड विकास अधिकारी,बहादराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, गढ, विकास खण्ड बहादराबाद, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 17750 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम्य विकास	17750.00				
A-19011	31.03.2016	श्री नारायण दत्त, पुत्र स्व0 श्री धर्मानन्द ग्राम फुटसिल, पोस्ट गुप्तड़ी गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ / प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फुटसिल विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ / खण्ड विकास अधिकारी, गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत फुटसिल विकास खण्ड गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ पर 7500 की शास्ति आरोपित की गयी है।	ग्राम्य विकास	7500.00				

वर्ष 2015–16 में
आयोग को प्राप्त बजट

संख्या 2030/xxxi(15)G/(बी–10)/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

AAO

04 DEC 2015
13401

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादून** **दिनांक 4 दिसम्बर,2015**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न अलाटमेट आईडी S1512060015 में दिये गये विवरण के अनुसार कुल **₹1800 हजार(रुपये अठ्ठारह लाख मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2015–16 के अनुदान संख्या–6 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजेत्तर–800–अन्य व्यय–13–सूचना आयोग की स्थापना के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3– उपर्युक्त स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए मित्तव्ययता की जायेगी।

4– उपरोक्त आवंटन वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1336/xxvii(1)/2015, दिनांक 17 नवम्बर,2015 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या /xxxi(15)G/(बी–10)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
3–वित्त अधिकारी,केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय,23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5–वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गिरधर सिहं भाकुनी)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 2801/xxxi(15)G/2015

अनुदान संख्या - 006

अलोटमेंट आई डी - S1512060015

आवंटन पत्र दिनांक 02-Dec-2015

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1: लेखा शीर्षक 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें | 00 -

800 - अन्य व्यय | 13 - सूचना आयोग की स्थापना

00 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	7800000	0	7800000
02 - मजदूरी	300000	300000	600000
03 - महंगाई भत्ता	8600000	0	8600000
04 - यात्रा व्यय	150000	0	150000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	1200000	0	1200000
07 - मानदेय	80000	0	80000
08 - कार्यालय व्यय	1500000	0	1500000
09 - विद्युत देय	700000	0	700000
10 - जलकर / जल प्रभार	40000	0	40000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	500000	0	500000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800000	0	800000
13 - टेलीफोन पर व्यय	800000	0	800000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	1600000	0	1600000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	7000000	650000	7650000
18 - प्रकाशन	300000	0	300000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	70000	0	70000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	200000	0	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	150000	0	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150000	550000	700000
42 - अन्य व्यय	600000	0	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	300000	400000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	250000	0	250000
	33041000	**1800000**	**34841000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1800000

([illegible])
उप सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2015 – 16

क्र.सं.	नाम एवं	पदनाम
1	श्री अनिल कुमार शर्मा,	राज्य सूचना आयुक्त (17/10/2015 तक)
2	श्री प्रभात डबराल,	राज्य सूचना आयुक्त (17/10/2015 तक)
3	श्री राजेन्द्र कोटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल,	सचिव
6	श्री राजेश नैथानी,	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
7	श्री टी.एस. बिष्ट,	विधि सलाहकार
8	श्री मनमोहन नैथानी,	सहायक लेखाधिकारी
9	श्रीमती हीरा रावत,	समीक्षा अधिकारी
10	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै,	समीक्षा अधिकारी
11	श्री उमेश चन्द्र सिंह,	सहायक समीक्षा अधिकारी
12	श्री सौरभ कुमार,	सहायक समीक्षा अधिकारी
13	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
14	श्री नरेश बिजल्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
15	कु. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	श्री सुमन सिंह रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	कु. ममता रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
18	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्रीमती चन्द्रा गुसांई,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
21	श्रीमती अनुराधा,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती रजनी भण्डारी,	व्यैक्तिक सहायक
23	श्री शैलेन्द्र हटवाल,	व्यैक्तिक सहायक
24	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया,	कम्प्यूटर आपरेटर
25	श्रीमती अमृता गुरूंग,	कम्प्यूटर आपरेटर
26	श्री मनोज सिंह,	कम्प्यूटर आपरेटर
27	श्री पंकज कुमार,	रिकॉर्ड कीपर/कम्प्यूटर आपरेटर

28	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
29	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक
30	श्री रवीन्द्र सिंह,	अनुसेवक
31	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
32	श्री सौरभ बडोनी,	अनुसेवक
33	श्री सुरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
34	श्री चंचल राम,	अनुसेवक
35	श्री अमर दीप	अनुसेवक
36	श्री प्रकाश सिंह,	अनुसेवक
37	श्री त्रिलोक सिंह	अनुसेवक
38	श्री नन्दन सिंह खोलिया	अनुसेवक
39	श्री प्रदीप खत्री	अनुसेवक
40	श्री सुरेश कुमार	अनुसेवक
41	श्री नन्दू कुमार	वाहन चालक
42	श्री विपिन कुमार,	वाहन चालक
43	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
44	श्री रमेश वर्मा,	वाहन चालक
45	श्री अमित कोहली	वाहन चालक
46	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
47	श्री बृजमोहन,	वाहन चालक
48	श्री अमर ठाकुर	वाहन चालक
49	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	सुरक्षा गार्ड
50	श्री हरि सिंह पटवाल,	सुरक्षा गार्ड
51	श्री वासुदेव पंथी,	सुरक्षा गार्ड
52	श्री मोहन सिंह नेगी,	सुरक्षा गार्ड

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779
ईमेल : secy-uic@gov.in वेबसाईट : http//uic.gov.in